

The 820th meeting of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) was held on 19th August, 2025 under the Chairmanship of Shri Rakesh Kumar Shrivastava for the projects which are scheduled in the agenda. Following members attended the meeting in person or through video conferencing -

1. Shri Vijay Kumar Ahirwar, Member.
2. Dr. Rakesh Kumar Pandey, Member.
3. Dr. Pallavee Bhatnagar, Member.
4. Dr. Sunita Singh, Member.
5. Dr. Sushil Manderia, Member.

The Chairman welcomed all the members of the State Expert Appraisal Committee. After that agenda item- wise taken up for deliberations.

1. Case No P2/1739/2025 Shri Rovin Singh Parihar, S/O Shri Ravindra Singh Parihar, 107 Berachha, Tehsil Seondha, Datia , (M.P.) - 475682. Prior Environment Clearance for M/s Berchha Soil Quarry, Area: 1.000 Ha, Khasra No -333, 334 (Pvt. Land), production is 3,000 Cubic meters, Village - Berchha, Tehsil - Sewda, District - Datia (M.P.).[536989] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 19/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार Smt. Swati Namdeo, FAE, M/s. AGS ENVIRONMENTAL SERVICES PVT. LTD. Delhi उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना की रूपरेखा

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Robin Singh Parihar, S/o Shri Ravindra Singh Parihar, 107 Berachha, Tehsil Seondha, Datia , (M.P.) - 475682. Prior Environment Clearance for M/s Berchha Soil Quarry, & located in Village - Berchha, Tehsil - Sewda, District - Datia (M.P.). Lease Area: 1.000 Ha, & Khasra No -333, 334(Pvt. Land), It comes to the B2 category, and its annual production is 3,000 Cubic meters. <u>SIA/MP/MIN/536989/2025. B2 Case.</u>	
Project Khasra No./Lease Area details	Khasra No.-333,33.	Lease Area-1.00 Ha. (Private Land)
Project Location	Village - Berchha, Tehsil - Sewda, District - Datia (Madhya Pradesh).	
Description of Project	Soil Quarry, & located in Village - Berchha, Tehsil - Sewda, District - Datia (Madhya Pradesh). Lease Area: 1.000Ha, & Khasra No -333,334, It comes to the B2 category, and its annual production is 3000 Cubic meters.	
Lease Sanction Order details.	Approved by letter No. 932 dated 28/10/2024 of the Office of Collector (Mineral Branch), District- Datia (M.P.).	

Project Category	B2.
SPCB Comments/CTE Status	PCB ID: 168628, Consent No: CTE-130607, Outward No: 20639, 03/06/2025, CTE Issued date 03/06/2025.
Mining Work Blasting/Rock Breaker.	Not applicable
DEIAA EC details (As Applicable)	Not applicable
Production & Capacity details.	➤ Soil – 3,000 Cubic meters per year.
Other mines within 500 meter radius.	According to the Ekal Certificate dispatch no. 107/191 dated 19/01/2025 & 07/02/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Datia , 01 other mines are operated / approved within the radius of 500 meters, thus the Total Area is 4.00 ha. It happens, hence the case is of B-2 Category.
Distance from National Park/ Sanctuary/SEZ to Core/Biodiversity Buffer	According to the Ekal Certificate dispatch no. 107/191 dated 19/01/2025 & 07/02/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Datia , there is no National Park/Sanctuary/Eco Sensitive Zone Biodiversity area located within the radius of 10 kilometers.
Situation of forest area at a distance of 250 meters from the proposed site.	According to the Ekal Certificate Dispatch No. 107/191 dated 19/01/2025 & 07/02/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Datia , there is no forest area within the radius of 250 meters.
Tehsildar's no objection.	As per EKAL Certificate Dispatch No. 107/191 dated 19/01/2025 & 07/02/2025. within a radius of 500 meters there is no Human settlement, Educational Institution, Hospital, Archaeological heritage, monument of national importance, Railway line / Public building / Cremation ground. National Highway / sensitive areas such as: Radio Station, Doordarshan, Airport, Defense institute and Aquatic body / River / Pond / Dam / Stop Dam / Canal / Rural unpaved / paved road / drain.
NOC from Gram Sabha/Gram Panchayat.	As per the resolution proposal number 02 dated 16/08/2024 of Gram Panchayat -Bercha, District- Datia , the Panchayat has no objection to the mining work at the proposed site.
Present status of trees at the proposed site	Tree existing -No
Current status of the proposed site as per Google Image.	South- habitation – 137 mt and in the South – east - canal- 181 mt.
	West- Pucca Road- 10 mt set back of 40 mt is proposed by PP.
Status of the proposed mine in the district survey report	परियोजना प्रस्तावक ने अपने घोषणा-पत्र दिनांक 04/05/2025 द्वारा अवगत कराया कि प्रस्तुतीकरण के दौरान जानकारी प्रस्तुत करेगा।

Based on the presentation given by the project proponent, the Environmental Management Plan, and other submitted information being satisfactory and acceptable, the Committee recommends granting Prior Environmental Clearance with specific and standard conditions as per Annexure-A, as follows:

1. As per the approved mining plan, the maximum production capacity soil - 3,000 Cubic meters
2. Under the Environmental Management Plan (EMP) Capital Cost shall be Rs. 5.45lakh and the recurring cost Rs. 1.10 lakh per year.
3. Under the CER head, an amount of Rs. 0.90 lakh shall be allocated as per the details below, and all activities proposed under CER shall be completed within the next 01year.

Proposed Activities under CER Head	Amount (in Rs.)
सी.ई.आर. मद से रू. 90,000 की राशि से ग्राम चक्की डेरा के शासकीय प्राथमिक शाला में 3 किलोवॉट का सोलर पैनल लगाया जाएगा।	रू 90,000

4. As per the plantation program (with continuous irrigation, replacement of dead plants for five years, and maintenance throughout the mining period), at least 200 trees shall be planted.

2. Case No P2/1733/2025 Smt. VARSHA KEWAT, Lessee, NARGUDA KHAS, TIKAMGARH (M.P.) Prior Environment Clearance for M/s Narguda Bhata Murum Mine in an area of 3.0 ha. (15001 cum per annum) (Khasra No. 63/6) Village Narguda Bhata, Thesil and District Tikamgarh (M.P.) [532250] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 19/08/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स Aseries Envirotek India Pvt Ltd, Lucknow उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	VARSHA KEWAT, Lessee, NARGUDA KHAS, TIKAMGARH (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	63/6 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.0 hectare.
स्थल	Village Narguda Bhata, Tehsil and District Tikamgarh (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संयुक्त संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 3043-44 दिनांक 11/3/24 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Not applicable as this is murum quarry.	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में में क्रेशर प्रस्तावित नहीं।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर द्वारा Outward No:22804 दिनांक 03/06/2025 के जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 26/05/2030 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम-15001 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम-15001 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1833 दिनांक 15/06/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य पत्थर खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनका कुल रकबा 05.569 हे. होता है परंतु प्रश्नाधीन खदान मुरूम की होने से नॉन होमोजिनियस है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/ एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1833 दिनांक 15/06/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
प्रस्तावित स्थल से	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र	

250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	क्रमांक 1833 दिनांक 15/06/2024 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1833 दिनांक 15/06/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नारगुढ खास जिला टीकमगढ़ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 15 दिनांक 24/01/2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing within lease area – 12 and no tree faling is proposaed.
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा- Railway line- 360 meters
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 154 दिनांक 04/06/2025 अनुसार नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान को सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मुरूम - 15001 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 19.79 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रु. 04.01 लाख प्रति वर्ष।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला नारगुडा भाटा में 2 KW सोलर पैनल	1,20,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1485 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

**3. Case No. P2/1740/2025, Shri Ashish Singh S/O Shri Rajeshwar Pratap Singh
Residence: -15/20, Gharola Mohalla, Tehsil-sohagpur, District – shahdol, State: -
 Madhya Pradesh Prior Environment Clearance for Karri Stone Quarry in an
 area of 1.0 ha. [Stone boulder- 13,134 m³/year], (Khasra No. 113/3 (Govt. Land),
 Village-karri, Tehsil-Gohparu, District- Shahdol (M.P.) [540711] (Fresh -B₂)**

The Proposed Mine is of Prior Environmental Clearance under Category B-2, in which today on 19/08/2025 the Project Proponent's Environmental Consultant Shri Shishupal Verma Super Tech, Environmental Services, Bhopal (M.P.) appeared and made a presentation before the committee.

Project Details	Documents submitted by the project proponent	
Name and address of the Project proponent	Shri Ashish Singh, Lessee, R/o. Ward no. - 16, Shahdol, Tehsil- Sohagpur, District- Shahdol, (M.P.) - 484001. Prior Environment Clearance for Karri Stone Quarry with a production capacity of max. 13,134 m³/year Stone having a lease area of 1.00 hectare, Stone – 13,134 Cubic meter/year. at Khasra No. - 113/3 part (Govt. land) Village - Karri, Tehsil- Gohparu, District- Shahdol (M.P.). SIA/MP/MIN/ 540711/2025.	
Khasra No. /Area (Government/Private)	Khasra No.-113/3 Part.	Lease Area-1.00 Ha., (Govt. land),
Project location	Village - Karri, Tehsil- Gohparu, District- Shahdol (M.P.).	
Description of Project	It is a Stone Quarry with a production capacity of max. 13,134 m ³ /year Stone having a lease area of 1.00 hectare, at Khasra No. 113/3 part (Govt. land) Village - Karri, Tehsil- Gohparu, District- Shahdol (M.P.)	
Lease approval letter details.	DGM Office, Bhopal letter No.- 2995—97 dated 07/03/2024.	
Project Cat.	B2.	
Blasting/Rock Breaker.	Muffle Blasting,	
Product & Capacity	Stone – 13,134 Cubic meters per year.	
Other mines within 500 meter radius	According to the Ekal Certificate dispatch no. 175 dated 11/02/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Shahdol, 01 other mines are operated / approved within the radius of 500 meters, thus the Total Area is 1.554 ha. , hence the case is of B-2 Category.	
Distance from National Park/ Sanctuary/SEZ to Core/Biodiversity Buffer	According to the Ekal Certificate number 175 dated 11/02/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Shahdol, there is no National Park/Sanctuary/Eco Sensitive Zone Biodiversity area located within the radius of 10 kilometers.	
Situation of forest area at a distance of 250 meters from the proposed site.	According to the Ekal Certificate Dispatch No.- 175 dated 11/02/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Shahdol, there is no forest area within the radius of 250 meters.	
Tehsildar's objection.	no	As per EKAL Certificate Dispatch No175 dated 11/02/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Shahdol, within a radius of 500 meters there is no Human settlement, Educational Institution, Hospital, Archaeological heritage, monument of national importance, Railway line / Public building / Cremation ground.

	National Highway / sensitive areas such as: Radio Station, Doordarshan, Airport, Defense institute and Aquatic body / River / Pond / Dam / Stop Dam / Canal / Rural unpaved / paved road / drain.
NOC from Gram Sabha/Gram Panchayat.	As per the resolution proposal number 03 dated 02/10/2023 of Gram Panchayat - Karri, District- Shahdol., the Panchayat has no objection to the mining work at the proposed site.
Present status of trees at the proposed site	• प्रस्तावित खदान क्षेत्र में स्थित पेड़ों की संख्या 15 • काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या -07
Current status of the proposed site as per Google Image.	उत्तर दिशा -उत्खनिपट्टे से उत्तर दिशा में लगभग 375 मीटर एवं 473 मीटर की दूरी पर नाला स्थित है ।
	दक्षिण दिशा - -उत्खनिपट्टे से दक्षिण दिशा में लगभग 416 मीटर पर कंक्रीट के प्लेटफार्म स्थित है । -उत्खनिपट्टे से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 475 मीटर पर कच्चा रास्ता स्थित है ।
	पूर्व दिशा -उत्खनिपट्टे से पूर्व दिशा में लगभग 232 मीटर मीटर की दूरी पर नाला स्थित है ।
Status of the proposed mine in the District survey report.	The project proponent informed vide letter 574 dated 11/02/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Shahdol that the details of this mine are addition to updated for DSR.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1- समिति द्वारा प्रकरण हेतु R.O. MPPCB शहडोल द्वारा जारी CTE के अनुसार - स्टोन 13063 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जाती है।
- 2- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.30 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.59 लाख प्रति वर्ष।
- 3- ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
- 4- परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है।
- 5- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.30 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	Solar Panel of 3.0 KW will be installed at the village government high school Aswari. (excluding subsidy)	1,20,000/-
2.	Educational wall paintings including environment awareness slogans on the same school building.	10,000/-
	योग	1,30,000/-

1. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1270 वृक्षों का वृक्षारोपण ।

4. Case No. P2/1735/2025, Shri Neeraj Aadiwasi S/o Shri Om Prakash Aadiwasi Resi. -448, Aadiwasi Colony, Gaushala Shivpuri (Madhya Pradesh) Prior Environment Clearance for Chitora Murram Quarry in an area of 3.0 ha. [Murram- 20,000 m³/year], (Khasra No. 142 (Govt. Land), Village: -Chitora, Tehsil- Shivpuri, District: -Shivpuri (M.P.) [538031] (Fresh -B₂)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 19 /08/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार Shri Shishupal Verma, M/s Super Tech, Environmental Services, Bhopal (M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना की रूपरेखा

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
Project Proponent/ Project Activity/Location/Adress	Shri Neeraj Aadiwasi, R/o- 448, Aadiwasi Colony, Gaushala Shivpuri, District-Shivpuri, M.P - 473551. Prior Environment Clearance for Chitora Murram Quarry with a production capacity of 20,000 m³/year murram Maximum having a lease area of 3.00 hectare, at Khasra No. – 142 (Govt.Land), Village - Chitora, Tehsil - Shivpuri, District - Shivpuri (M.P.). B₂ Fresh Case. SIA/MP/MIN/538031/2025.	
Project Khasra No. /Lease Area details.	Khasra No. – 142 (Govt. Land),	Lease Area – 3.00 ha.,
Project Location	Village - Chitora, Tehsil-Shivpuri, District-Shivpuri (M.P.).	
Description of Project	It is a Murram Quarry with a Production Capacity of 20,000 m ³ /year murram Maximum having a lease area of 3.00 hectare, at Khasra No. - 142 Village - Chitora, Tehsil - Shivpuri, District - Shivpuri (M.P.).	
Lease sanction details	Office, Collector (Mining Branch) Distt.- Shivpuri letter no. 2011 Dated 11/12/2024.	
Project Category (B1/B2)	B ₂ .	
SPCB Comments Water/Air Consent details.	PCB ID: 169896, Consent No:CTE-130565, Outward No:16036,02/06/2025, Consent to Establish valid up to 30/04/2030, Issued Date: 02/06/2025.	
खनन कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Not Applicable	
DEIAA EC details (If applicable).	Not Applicable	
Production details (as per Application).	➤ Murum – 20,000 Cubic meter/year.	
500 mt. radius working mine details (As per Ekal Patra).	Office, Collector (Mining Branch) Distt.- Shivpuri letter no. 2011 Dated 11/12/2024 according no more mine sanction/working 500 mt. Radius Total Area- 4.00 ha., Case appraisal as B-2 Category.	
DFO NoC details (As per Ekal Patra).	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 576 दिनांक 17/04/2025 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
Revenue NoC details (As per Ekal Patra).	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 576	

	दिनांक 17/04/2025 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि संबंधी जानकारी नहीं है।
Gram Sabha NOC/Gram Panchayat/Nagar Parishad/Nagar Nigam.	ग्राम पंचायत - Chittora जिला शिवपुरी का ठहराव प्रस्ताव क्र०. 09 दिनांक 02/10/2024 द्वारा अनापति पत्र जारी किया गया है।
Proposed location: Present status of trees.	PP's Env. Consultant submitted that within lease area -Tree existing - 20 nos. Tree Felling – Not proposed
Proposed mine google image (If required setback proposed) details	उत्तर दिशा - -उत्खनिपट्टे से उत्तर दिशा में लगभग 115 मीटर पर कच्चा रास्ता स्थित है । -उत्खनिपट्टे से उत्तर दिशा में लगभग 58 मीटर पर कमरा परिलक्षित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि उक्त कमरा कृषि सम्बंधित सामान आदि रखने हेतु बनाया गया है जिसके सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। दक्षिण दिशा - -उत्खनिपट्टे से दक्षिण दिशा में लगभग 55 मीटर पर पक्का रास्ता स्थित है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार पक्का रोड से 100 मीटर की दूरी तक कोई भी खनन कार्य नहीं किया जावेगा एवं मुरुम उत्खनिपट्टा होने के कारण उत्खनिपट्टे क्षेत्र में ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी । -उत्खनिपट्टे से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 78 मीटर पर पुलिया स्थित है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार पुलिया से 100 मीटर की दूरी तक कोई भी खनन कार्य नहीं किया जावेगा एवं मुरुम उत्खनिपट्टा होने के कारण उत्खनिपट्टे क्षेत्र में ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी । उत्तर दिशा - -उत्खनिपट्टे से उत्तर दिशा में लगभग 115 मीटर पर कच्चा रास्ता स्थित है । -उत्खनिपट्टे से उत्तर दिशा में लगभग 58 मीटर पर कमरा परिलक्षित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि उक्त कमरा कृषि सम्बंधित सामान आदि रखने हेतु बनाया गया है जिसके सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। पश्चिम दिशा - उत्खनिपट्टे से पश्चिम दिशा में लगभग 378 मीटर पर रेलवे पटरी स्थित है ।
District Survey Report Status	Office, Collector (Mining Branch) Distt.- Shivpuri letter no. 577 Dated 17/04/2025 informed to conclude the mine name further updated DSR.

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र पश्चिम दिशा में स्थित वृक्षों को संरक्षित करने हेतु एवं दक्षिण दिशा में 55 मीटर पर स्थित पक्के रोड से 100 मीटर तक गैर खनन क्षेत्र के अंतर्गत कुल 0.3766 हेक्टेयर का रकबा गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्पादन क्षमता – मरूम 20000 घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14.06 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रु. 2.29 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 50 हजार तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	Whitewash of the village Aganwadi kendra Chitora (govt building) & its boundary with educational paintings related to environment awareness on the wall of it.	30,000/-
2.	Educational learning items for children will be provided there at Aganwadi kendra Chitora.	20000/-
Total		50,000/-

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण ।

5. Case No P2/1741/2025 Smt. Mamta Anjna, Lessee, R/o- Diganvmali, Tehsil-Mandsaur, District-Mandsaur,M.P. Prior Environment Clearance for M/s Digaonmali Stone Quarry and M-Sand in an area of 1.0 ha. (Stone (Gitti) – 4,000 cum per year and M-Sand 4,000 cum per year) (Khasra No. 276), Village-Digaonmali, Tehsil and District-Mandsaur (M.P.) [540668] (B2).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 19/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मा, Super Tech Environmental Services, Bhopal (M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Smt. Mamta Anjna, Lessee, R/o- Diganvmali, Tehsil- Mandsaur, District-Mandsaur M.P.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	276 (सरकारी भूमि)	1.0 hectare.
स्थल	ग्राम डिगांवमाली, तहसील मंदसौर, जिला मंदसौर (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 40 दिनांक 02/01/2024 के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।	
लीज क्षेत्र में एम सेंड प्लान्ट की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की Outward No:22002 दिनांक 06/06/2025 वैधता दिनांक Consent to Establish for setting up of an industrial plant/activities at 276 Govt. Land), Village- Digaonmali, Tehsil and District-Mandsaur (M.P.) ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन-4000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड- 4000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन-4000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड- 4000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 770 दिनांक 14/06/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिसका कुल रकबा 4.927 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	

राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / एसईजेडसे दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 770 दिनांक 14/06/2024 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 770 दिनांक 14/06/2024 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 770 दिनांक 14/06/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम डिगांवमाली, जिला मंदसौर (M.P.)के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 24/1/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	PP's Env. Consultant submitted that within lease area -Tree existing -02 nos. Tree Felling – Not proposed
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा -उत्खनिपट्टे से उत्तर दिशा में 54 मीटर पर एक पक्का रोड स्थित है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि अनुमोदित खनन योजना पक्के रोड से 100 मीटर की दूरी तक कोई खनन कार्य नहीं किया जावेगा एवं शेष क्षेत्र में खनन कार्य बिना ब्लास्टिंग के रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा ।
	पश्चिम दिशा -उत्खनिपट्टे से पश्चिम दिशा में लगभग 355 मीटर पर मानव बसाहट है । -उत्खनिपट्टे से पश्चिम दिशा में लगभग 92 मीटर पर शेड परिलक्षित हो रहे हैं जिनके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि यह टीन के अस्थायी शेड बने हुए हैं जिनमे सीमेंट के पोल्स रखे हुए हैं ।

प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 812 दिनांक 21/06/2024 के उक्त खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया हो जाने के उपरांत नवीन जिला सर्वेक्षण में सम्मिलित कर लिया जावेगा
--	---

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा पाया गया की उत्खनिपट्टे क्षेत्र के उत्तरी भाग में खुदा हुआ परिलक्षित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि परिलक्षित हो रहा गड्ढा सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 24-01-2024 से पहले का खुदा हुआ है जिसका उल्लेख अनुमोदित खनन योजना में भी किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1- अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्पादन क्षमता - गिट्टी पत्थर 4000 घनमीटर/वर्ष एवं एम् सैंड -4000 घनमीटर/वर्ष।
- 2- परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में एमसैंड प्लांट प्रस्तावित है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित एमसैंड प्लांट में वायु प्रदूषण रोधि उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
- 3- परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खनन हेतु ब्लास्टिंग प्रक्रिया प्रस्तावित नहीं है।
- 4- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.23 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रु. 2.46 लाख प्रति वर्ष।
- 5- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.20 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	Solar panel system of 2.0 Kw capacity will be installed at Govt. Primary school of village Digaonmali. (excluding subsidy)	90,000
	Repairing of the same school building with educational wall paintings including environment awareness on the school building.	30000
	योग	1,20,000

6.वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का रोपण प्रस्तावित है ।

6. Case No P2/1736/2025 Shri BRAJMOHAN SINGH THAKUR, Proponent, Village- Singori, Tehsil- Patan, District- Jabalpur (MP) Prior Environment Clearance for M/s Kungawan Metal Stone Mine in an area of 1.75 ha. (14526 cum per annum) (Khasra No. 39 (Part)) Village – KUMGAWAN Tehsil – Patan District- Jabalpur (M.P.) [530469] (DEIAA) (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्राइजल का है, जिसमें आज दिनांक 19/08/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज मेसर्स Zenith Environment Consultancy, Noida उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री BRAJMOHAN SINGH THAKUR, Proponent, Village- Singori, Tehsil- Patan, District- Jabalpur (MP)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	39 (Part) (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.75 hectare.
स्थल	Village – KUMGAWAN Tehsil – Patan District- Jabalpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 10693-94 दिनांक 30/09/2024 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	
प्रकरण की स्थिति	DEIAA प्रकरण।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जबलपुर के पत्र क्रमांक 78 दिनांक 03/09/2016 के द्वारा पत्थर-8820 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापति प्राप्त है।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	आवेदित स्थल पर क्रेशर प्रस्तावित नहीं है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर के Outward No:25073 दिनांक 09/06/2025 के द्वारा जारी संचालन सम्मति (सीटीओ) की वैधता दिनांक 31/05/2030 तक है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-14526 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-14526 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 453 दिनांक 17/02/2025 अनुसार 500 मीटर की परिधि कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 03.41 होता है, अतः प्रकरण बी-	

	2 श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/ एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 453 दिनांक 17/02/2025 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 453 दिनांक 17/02/2025 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 453 दिनांक 17/02/2025 अनुसार 100 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बरौदा छेडी जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26/01/2013 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing within lease area – No
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- कच्चा रोड 90 मी.
	दक्षिण पश्चिम दिशा-आबादी-90 मी.
	पूर्व दिशा- कच्चा रोड 231 मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-35 के सरल क्रमांक-48 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति।	प्रस्तावित खदान की कुल परिधि 544 मीटर में से 80 प्रतिशत (419 m) भाग में तार फेन्सिंग की गई है, अथवा शेष 20 प्रतिशत (105 m) भाग में तार फेन्सिंग का प्रस्ताव दिया गया है। अथवा शेष 20 मीटर परिवहन

	मार्ग हेतु छोड़ा जायेगा।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.5 मीटर पर वृक्षारोपण।	प्रस्तावित खनन क्षेत्र में 7.50 मीटर बेरियर जोन पूर्णतः खुदा हुआ है, अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा बेरियर जोन में बैकफिलिंग का कार्य किया जाएगा। जिसकी कोस्ट EMP दी गई है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति।	अपूर्ण पायी गई। कुल क्षेत्र की परिधि 544 मीटर में से 524 मीटर की गारलेण्ड ड्रेन व 2 सेटलिंग टैंक की व्यवस्था की जाएगी अथवा शेष 20 मीटर परिवहन मार्ग हेतु छोड़ा जायेगा।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	बैचेस अवलोकित नहीं है।
रेस्ट शेल्टरए शौचालयए पीने के पानी की व्यवस्था की वर्तमान स्थिति।	सभी सुविधाओं के साथ रेस्ट शेल्टर का निर्माण करवाया जाएगा। जिसमें शौचालय व पीने के पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। खदान क्षेत्र में प्रथमिक चिकित्सा के लिए फर्स्ट-एड बॉक्स भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
7.5 मी बैरियर जोन की स्थिति।	प्रस्तावित खनन क्षेत्र में 7.50 मीटर बेरियर जोन पूर्णतः खुदा हुआ है, अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा बेरियर जोन में बैकफिलिंग का कार्य किया जाएगा।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य बजट।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय समय पर सामाजिक कार्य, क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा अन्य कार्यों में आर्थिक एवम श्रमदान किया गया। परन्तु साक्ष उपलब्ध नहीं है।
उत्खनन किया हुआ क्षेत्र	परियोजना क्षेत्र में पुराने खदान गड्ढे का क्षेत्रफल - 1.254 हेक्टेयर पुराने खदान गड्ढे का आयाम (लंबाई × चौड़ाई × गहराई)- (156 m × 89.4 m × 4 m)

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-14526 घनमीटर/वर्ष।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खनन हेतु ब्लास्टिंग प्रक्रिया प्रस्तावित नहीं है।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खनन हेतु ब्लास्टिंग प्रक्रिया प्रस्तावित नहीं है।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.39 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 2.88 लाख प्रति वर्ष।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 4.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

Sr. No.	Description	Cost to be incurred (in Rs./Year)
1.	Regarding installation of 03 Kw Solar Panel Govt. Primary School, Village Kumgawan	2,80,000
2.	We will provide shed & water facility at Cremation Ground, Village Kumgawan	50,000
3.	Provision of nature-themed paintings, Sciences related models, instrument, etc. for Govt. Middle School in Village Kumgawan	80,000
Total		4,10,000

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1750 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

7. Case No. P2/1742/2025, Shri Rameshwar S/O: Hokam Singh Gurjar R/O-Vill.- Bakani, Tehsil- Moman Badodiya, Dist- Shajapur (M.P.) State: -Madhya Pradesh Prior Environment Clearance for Dangicha Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.00 ha. [Stone (Gitti) - 4005 m³/year], (Khasra No. 4/1 and 4/2 (Govt. Land), Village- Dangicha, Tehsil- Moman Badodiya, District- Shajapur (M.P.) [540749] (Fresh -B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 19/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मा, मेसर्स Super Tech Environmental Services, Bhopal (M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Rameshwar Gurjar, Lessee, R/o- Bakani, Tehsil-M.O Badodiya, District- Shajapur, M.P.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	4/1 and 4/2 (सरकारी भूमि)	2.0 hectare.
स्थल	ग्राम डंगीचा, तहसील वडोदिया, जिला शाजापुर (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 11708 दिनांक 25/10/2024 के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की Outward No:-22019 दिनांक 09/06/2025 वैधता दिनांक Consent to Establish for setting up of an industrial plant/activities at at khasra no. 4/1,4/2 village Dangicha, Tehsil - Moman Badodiya, Dist - Shajapur(M.P.).	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन (गिट्टी) 4005 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन (गिट्टी) 4005 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 1200 दिनांक 25/07/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण /	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक	

एसईजेडसे दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	1200 दिनांक 25/07/2024 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 1200 दिनांक 25/07/2024 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 1200 दिनांक 25/07/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापति	ग्राम डंगीचा, जिला शाजापुर (M.P.)के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 14/4/2018 अनुसार ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing within lease area -No
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा - -उत्खनिपट्टे के उत्तर पूर्व दिशा में 43 मीटर की दूरी पर एक कमरा स्थित है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि उक्त कि क्रेशर प्लांट का साइट ऑफिस है । पश्चिम दिशा - उत्खनिपट्टे से पश्चिम दिशा में लगभग 528 मीटर पर पक्का रोड स्थित है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 1200 दिनांक 25/07/2024 के उक्त उत्खनिपट्टा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण में सम्मिलित कर लिया जावेगा

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता क्षमता स्टोन (गिट्टी) 4005 घनमीटर/वर्ष

2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क्रशर प्लांट प्रस्तावित है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रशर प्लांट में वायु प्रदूषण रोधि उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायों/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.81 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रु. 3.02 लाख प्रति वर्ष ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
Solar panel system of 2.0 kw capacity will be installed at village Govt. primary school Dangicha (excluding subsidy) & educational paintings including environment awareness on its wall.	1,00,000/-

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

8. Case No P2/1737/2025 Shri Govind Singh, Partner, SISODIYA ENTERPRISES, Silegarh, Panchpahad, Dist Mandsaur (MP). Prior Environment Clearance for M/s Junapani Pawati Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.0 ha. (Stone – 17,100 cum per year) (Khasra No. 479), Village- Junapani Pawati, Tehsil Garoth, District-Mandsaur (M.P.) [468757] (DEIAA) (B2).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 19/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार Smt. Swati Namdeo, FAE, M/s. AGS ENVIRONMENTAL SERVICES PVT. LTD. Delhi उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Govind Singh, Partner, SISODIYA ENTERPRISES, Silegarh, Panchpahad, Dist Mandsaur (MP).	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	479 (सरकारी भूमि)	2.0 hectare.
स्थल	ग्राम जूनापानी पावटी, तहसील गरोठ, जिला मंदसौर (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 975 दिनांक 29/12/2015 के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण ।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित नहीं है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की Outward No:18044 दिनांक 02/03/2022 वैधता दिनांक grant consent up to 30/04/2024	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन - 17100 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन - 17100 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 334 दिनांक 03/04/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिसका कुल रकबा 4.0 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / एसईजेडसे दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 334 दिनांक 03/04/2025 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित	

	नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 334 दिनांक 03/04/2025 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 334 दिनांक 03/04/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम नलखेडा, जिला मंदसौर (M.P.)के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 4/10/2015 अनुसार ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में 45 पेड़ लगे हुए हैं जिनमें से कोई भी पेड़ काटा नहीं जाएगा।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- पक्का रोड़ - 167 मी. परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया कि 200 मी. तक का क्षेत्र गैर खनन प्रस्तावित किया गया है।
	उत्तर दिशा- डेयरी फॉर्म - 280मी. उत्तर पश्चिम दिशा-वेयर हाउस - 400 मी.
	पूर्व दिशा- पक्का रोड़ - 172 मी. पर्यावरण सलाहकार द्वारा 200 मी. तक का क्षेत्र गैर खनन प्रस्तावित किया गया है।
	दक्षिण दिशा- प्राकृतिक नाला - 126 मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण उज्जैन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न. 43 सरल क्रमांक 81 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न-मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	टोटल लीज एरिया पेरिफेरि 597मी. में से 90 % (537m) फेन्सिंग का कार्य हुआ है। 10 % (360m) अभी बाकी है।

ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार 200 पौधे लगाये जाने थे अतः 60 पौधे लीज क्षेत्र के 7.5 मी. बैरियर जोन एवं केशर के पास में लगाये गये हैं।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। टोटल गारलेण्ड ड्रेन पेरिफेरि 602 मी. में से केवल 402मी. गारलेण्ड ड्रेन बना हुआ है। 200मी बकी है। एवं एक सेटलिंग टैंक बना है।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	बैचेस अवलोकित नहीं है।
रेस्ट शेल्टर, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था की वर्तमान स्थिति	सभी सुविधाओं के साथ रेस्ट शेल्टर का निर्माण करवाया गया है। जिसमें शौचालय व पीने के पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध है। खदान क्षेत्र में प्रथमिक चिकित्सा के लिए फास्ट-एड बॉक्स भी उपलब्ध है।
7.5 मी बैरियर जोन की स्थिति	7.5 मी बैरियर जोन केवल एक तरफ से असुरक्षित है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशी से ग्राम जुनापानी-पावती के आंगनवाडी में 3 Kw सोलर पैनल लगाया जायेगा।
उत्खनन किया हुआ क्षेत्र	6770 m x 6.0m = 40,620cum

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता क्षमता स्टोन - 17100 घनमीटर/वर्ष
2. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायों/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.24 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रु. 1.36 लाख प्रति वर्ष।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशी से ग्राम जुनापानी-पावती के आंगनवाडी में 3किलोवॉट सोलर पैनल लगाया जायेगा।	1,00,000

5. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 400 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

9. Case No P2/1738/2025 Shri Nikhil Tripathi, Partner, Add. Mada, Tehsil-Lavkush Nagar, District-Chhatarpur. M.P. Prior Environment Clearance for M/s Jhumar Stone Mine in an area of 2.00 ha. (35910 cum per annum) (Khasra No. 259/1) Village-jhumar Tehsil- Laundi District Chhatarpur (M.P.). [520638](DEIAA) (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 19/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार Smt. Swati Namdeo, FAE, M/s. AGS ENVIRONMENTAL SERVICES PVT. LTD. Delhi उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री Nikhil Tripathi, Partner, Add. Mada, Tehsil- Lavkush Nagar, District-Chhatarpur. M.P.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	259/1 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village- Jhumar Tehsil- Laundi District Chhatarpur (M.P.).	
लीज स्वीकृति	संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 3443-44 दिनांक 15/03/024 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	DEIAA प्रकरण।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया छतरपुर के पत्र क्रमांक 1402 दिनांक 24/09/16 के द्वारा पत्थर-17140 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापति प्राप्त है।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार आवेदित स्थल पर क्रेशर प्रस्तावित है ।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के दिनांक 28/06/2022 के द्वारा जारी संचालन सम्मति (सीटीओ) की वैधता दिनांक 31/03/2026 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-35910 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-35910 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 948 दिनांक 03/06/2025 अनुसार 500 मीटर की परिधि कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/ एसईजेड	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 948 दिनांक 03/06/2025 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल	

से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 948 दिनांक 03/06/2025 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 948 दिनांक 03/06/2025 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	नगर परिषद लवकुशनगर, जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक-691 दिनांक 24/10/12 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु से निकाय को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में 25 पेड़ हैं जो बेरियर जोन में हैं जिनमें से कोई भी पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा- 145 मी. की दूरी पर मजदूरों के अस्थाई शेल्टर हैं इस संबंध में 55 मी. का गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है एवं आबादी 210 मी. की दूरी पर है।
	पूर्व दिशा- प्राकृतिक नाला -90मी. की दूरी पर है।
	पश्चिम दिशा-पृथक मकान 170 मी. की दूरी पर है इस संबंध में 30 मी. का गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-158 के सरल क्रमांक-2 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	टोटल लीज एरिया पेरिफेरि 554मी. में से 70 % (388m) फेन्सिंग का कार्य हुआ है। 30 % (166m) अभी बाकी है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार 200 पौधे लगाये जाने थे अतः 70 पौधे लीज क्षेत्र के 7.5 मी. बैरियर जोन एवं केशर के पास में लगाये गये हैं।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। टोटल गारलेण्ड ड्रेन पेरिफेरि 534 मी. में से केवल 184मी. गारलेण्ड ड्रेन बना हुआ है। 350मी बाकी है। एवं एक सेटलिंग टैंक बना है।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	बैचेस अवलोकित नहीं है।
रेस्ट शेल्टर, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था की वर्तमान स्थिति	सभी सुविधाओं के साथ रेस्ट शेल्टर का निर्माण करवाया गया है। जिसमें शौचालय व पीने के पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध है। खदान क्षेत्र में प्रथमिक चिकित्सा के लिए फास्ट-एड बॉक्स भी उपलब्ध है।
7.5 मी बैरियर जोन की स्थिति	7.5 मी बैरियर जोन चारो तरफ से सुरक्षित है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशी से ग्राम झूमर के शासकीय प्राथमिक शाला में 3 Kw सोलर पैनल लगाया जायेगा।
उत्खनन किया हुआ क्षेत्र	14,100m x 4.0m = 56,400cum

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य पाई गई।

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-35910 घनमीटर/वर्ष

2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क्रशर प्लांट प्रस्तावित है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रशर प्लांट में वायु प्रदूषण रोधि उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायों/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 4.17 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 1.25 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशी से ग्राम झूमर के शासकीय प्राथमिक शाला में 3 किलोवॉट का सोलर पैनल लगाया जायेगा।	1,00,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 400 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए:-

- ग्राम सभा / ग्राम पंचायत/ नगर परिषद की नवीन अनापति प्रमाणपत्र।
- मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर द्वारा जारी संचालन सम्मति दिनांक 28/06/2022 (सीटीओ) पत्थर- 17140 घनमीटर /वर्ष की है परंतु उत्पादन क्षमता में विस्तार पत्थर- 35910 घनमीटर /वर्ष प्रस्तावित किया गया है । अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ओएम दिनांक 14/01/2025 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संशोधित कमेन्ट्स/सीटीई की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें।

10. Case No P2/1743/2025 Shri RAM KUMAR SINGH GOND, Lease Owner, Ward No. 9, Jhakhaur (Rampur Patha), Maihar, Satna, Madhya Pradesh, 485771. Prior Environment Clearance for M/s Sannai Flagstone Mine, area – 1.578 ha (Khasra No. 56/4) (5856 cum per annum) Village -Sannai, Tehsil-Maihar, District-Satna, (M.P.) [540448](DEIAA) (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्राइजल का है, जिसमें आज दिनांक 19/08/2025 को परियोजना प्रस्तावक श्री रामकुमार सिंह गोंड एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स Aseries Envirotek India Pvt Ltd. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri RAM KUMAR SINGH GOND, Lease Owner, Ward No. 9, Jhakhaur (Rampur Patha), Maihar, Satna, Madhya Pradesh, 485771.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	56/4 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड भू स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है)	1.578 hectare.
स्थल	Village -Sannai, Tehsil-Maihar, District-Satna, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	लीज अनुबंध दिनांक 30/01/2018 के द्वारा 10 वर्ष के लिए अनुबंधित ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Not applicable as this is Flagstone quarry.	
प्रकरण की स्थिति	DEIAA प्रकरण।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया सतना के पत्र क्रमांक 95 दिनांक 11/01/2018 के द्वारा Flagstone-5856 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार आवेदित स्थल पर क्रेशर प्रस्तावित है ।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतना द्वारा दिनांक 15/07/2022 के जारी संचालन सम्मति (सीटीओ) की वैधता दिनांक 22/05/2023 तक थी ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Flagstone-5856 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Flagstone-5856 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2155 दिनांक 01/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/ एसईजेड से दूरी कोर/ जैव	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2155 दिनांक 01/04/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।	

विविधता बफर	
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2155 दिनांक 01/04/2023 अनुसार आवेदित क्षेत्र से निकटतम वनसीमा की दूरी 72 मीटर पर है। कार्यालय कमिशनर, रीवा संभाग रीवा से पत्र क्रमांक 4729 दिनांक 13/09/2017 से अनुमति प्राप्त है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2155 दिनांक 01/04/2023 अनुसार वन क्षेत्र 100 मीटर की दूरी पर है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हिनौताकलां जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 10 दिनांक 15/08/2027 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	150 पौधे लीज क्षेत्र के 7.5 मी. बेरियर जोन में लगाये गये हैं।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पश्चिम दिशा-प्राकृतिक नाला -121 मी. पश्चिम दिशा-आबादी -35 मी. इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 65 मी. का गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित किया अतः खनन हेतु 0.903 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-157 के सरल क्रमांक-50 पर दर्ज है।

पर्यावरण सलाहकार ने अवगत कराया कि गूगल इमेज में खदान से लगा हुआ पश्चिम दिशा की ओर जो खुदा हुआ गड्ढा दिखाई दे रहा है वह पूर्व में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा खोदा गया है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	टोटल लीज एरिया पेरिफेरि 559मी. में से 55 % (303m) फेन्सिंग का कार्य हुआ है। 45% (256m) अभी बाकि है।

ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार 72 पौधे लगाये जाने थे अतः 150 पौधे लीज क्षेत्र के 7.5 मी. बैरियर जोन में लगाये गये है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। टोटल गारलेण्ड ड्रेन पेरिफेरि 514मी. में से केवल 162मी. गारलेण्ड ड्रेन बना हुआ है। 352मी बाकि है। एवं सेटलिंग टैंक नही बना है।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	बैचेस अवलोकित नही है।
रेस्ट शेल्टर, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था की वर्तमान स्थिति	सभी सुविधाओं के साथ रेस्ट शेल्टर का निर्माण करवाया गया है। जिसमें शौचालय व पीने के पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध है। खदान क्षेत्र में प्रथमिक चिकित्सा के लिए फास्ट-एड बोक्स भी उपलब्ध है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया है। कि ग्राम सन्नई के कोलान मोहल्ला उमदद सडक नही होने पर लगभग 3ए00ए000/- की लागत से मिट्टी, मुरुम, एवं पत्थर के टुकड़ों को मिला कर सडक का निर्माण करवाया गया है। ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र संलग्न है।
7.5 मी बैरियर जोन की स्थिति	वर्तमान में 7५५ मी बैरियर जोन उत्तर से पश्चिम दिशा की ओर 0५15 हेक्टेयर एरिया खुदा हुआ है। जिसमें उत्तर दिशा की ओर पी.पी. द्वारा बैरियर जोन एरिया 0५09 हेक्टेयर, 2५५ मी0 गहराई तक 2250 घनमीटर अपशिष्ट भरवा दिया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। पश्चिम दिशा की ओर एरिया 0५06 हेक्टेयर, लगभग 2५५ मी की गहराई तक खुदा है। अधिक बारिश होने के कारण पश्चिम दिशा की ओर पुर्नभरण का कार्य नही हो पाया है अतः पश्चिम दिशा की ओर पुर्नभरण एरिया 0५06 हेक्टेयर, लगभग 2५५ मी की गहराई मे लगभग 1500 घनमीटर या 3600 टन अपशिष्ट की आवश्यकता होगी जिसकी लागत राशि ईएमपी में शामिल की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Flagstone-5856 घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.30 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रु. 3.85 लाख प्रति वर्ष

|

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम सन्नई के प्रथमिक शाला में 3KW का सोलर पैनल लगवाया जायेगा तथा रंगाई—पुताई करवाने के साथ—साथ विज्ञान संबंधि एवं पर्यावरण विषय को परिभाषित करने वाली चित्रकारी करवाया जयेगा ।	Rs.1,50,000/-

5. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 790 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

11. Case No P2/1744/2025 Shri SURPAL SINGH AJNAR, Lease owner, At village - Tadavi Faliya,, Gram Kasba Jobat, Post Jobat, District- Alirajpur. Pin 457990 (MP) Prior Environment Clearance for M/s Pipaldehla Stone (Gitti) Quarry in an area of 3.80 ha. (Stone – 40,000 cum per year) (Khasra No. 216, 219, 220, 267, 268, 269, 294, 296/2, 300, 301, 303/1, 303 (Pvt. Land) and 302 (Govt. Land), Village- Pipaldelha, Tehsil and District - Jhabua (M.P.) [519507] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 19/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अजय मोहन, मेसर्स इन सिटू इवायरो केयर, भोपाल उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	SURPAL SINGH AJNAR, Lease owner, At village - Tadavi Faliya,, Gram Kasba Jobat, Post Jobat, District- Alirajpur. Pin 457990 (MP)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	216, 219, 220, 267, 268, 269, 294, 296/2, 300, 301, 303/1 (Pvt. Land) and 302 (Govt. Land),	3.80 hectare.
स्थल	ग्राम पिपललदेहला, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 803 दिनांक 23/07/2024 के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की Outward No:29199 दिनांक 10/06/2025 वैधता दिनांक Consent to Establish up to 21/05/2030	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन-40000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन-40000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 1410 दिनांक 09/12/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिसका कुल रकबा 4.92 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / एसईजेसे दूरी कोर/ जैव	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 1410 दिनांक 09/12/2024 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	

विविधता बफर	नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 1410 दिनांक 09/12/2024 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 1410 दिनांक 09/12/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में राष्ट्रीय राजमार्ग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम देवझिरी पंडा, जिला झाबुआ (M.P.). के ठहराव प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है एवं उक्त प्रस्ताव पेसा एक्ट के सभी सदस्यो एवं ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर प्रस्ताव पारित किया गया है।
प्रस्तावितस्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing within lease area – No.
प्रस्तावितस्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- राष्ट्रीय राजमार्ग -108 मी. इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि 92 मी. का गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित किया है अतः खनन हेतु 2.55 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है।
	पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि पूर्व दिशा में लीज क्षेत्र से लगे हुए शेड हैं जो कि स्टोरेज हेतु उपयोग में आते हैं रहवासी क्षेत्र नहीं है।
	उत्तर पूर्व दिशा- कच्चा रोड 7.5 मी. पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि 43 मी. का गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित किया है। पूर्व दिशा में लीज क्षेत्र से लगा हुआ एक डामर प्लांट स्थित है जो कि कार्यशील स्थिति में नहीं है। एवं दक्षिण दिशा में एक अन्य प्लांट डामर प्लांट 102 मी. की दूरी स्थित है
प्रस्तावितखदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण झाबुआ जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खसरा क्रमांक 268, 300 एवं 301 के पेज न. 17 सरल क्रमांक 14 पर दर्ज है एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 1410 दिनांक 09/12/2024 के खसरा क्रमांक 216, 219, 220, 267, 269, 294, 296/2, 303/1 and 302 को नवीन जिला सर्वेक्षण में सम्मिलित कर लिया जावेगा

खदान का कुछ भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया यह खदान इसी स्थिति में प्राप्त हुई है। तत्संबंध में विवरण अनुमोदित खनन योजना में दर्शाया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण

सलाहकार द्वारा बताया गया कि कार्यालय ग्राम पंचायत देवझिरी पंडा जनपद पंचायत झाबुआ जिला- झाबुआ से पेसा एक्ट के अधीन अनापत्ति दिनांक 14/01/24 को प्रदाय की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन-40,000 घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क्रशर प्रस्तावित है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रशर में वायु प्रदूषण रोधि उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायों/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.82 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 3.22 लाख प्रति वर्ष।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
ग्राम छापरी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में 3किलोवॉट का सोलर पैनल स्थापित किया जाएगा।	1,50,000/-

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4600 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा।

12.Case No P2/1745/2025 Shri PRADEEP MIDLA, Owner, S/o padam chand, veersawarkar ward, pushpvihar colony bina Sagar, (M.P.) Prior Environment Clearance for M/s Girol Stone Mine in an area of 3.00 ha. (22,500 cum per annum) (Khasra No. 16/1) Village- Girol, Tehsil - Bina, District- Sagar, (M.P.) [525169] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 19/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार Smt. Swati Namdeo, FAE, M/s. AGS ENVIRONMENTAL SERVICES PVT. LTD. Delhi उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री PRADEEP MIDLA, Owner, S/o padam chand, veersawarkar ward, pushpvihar colony bina Sagar, (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	16/1 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.00 hectare.
स्थल	Village- Girol, Tehsil - Bina, District- Sagar, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 1020 दिनांक 24/07/2017 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	BROAD BLASTING & DRILLING PARARMETERS.	
प्रकरण की स्थिति	DEIAA प्रकरण	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया सागर के पत्र क्रमांक 16 दिनांक 31/05/2016 के द्वारा पत्थर-22500 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार आवेदित स्थल पर केशर प्रस्तावित नहीं ।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के सम्मति आर्डर दिनांक 13/05/2022 के द्वारा जारी संचालन सम्मति (सीटीओ) की वैधता दिनांक 30/05/2025 तक थी ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-22,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-22,500 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1333 दिनांक 21/01/2025 अनुसार 500 मीटर की परिधि 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.50 होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	

अभ्यारण/ एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	1333 दिनांक 21/01/2025 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1333 दिनांक 21/01/2025 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1333 दिनांक 21/01/2025 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है। स्वीकृत क्षेत्र से नियमानुसार 10 मीटर की दूरी छोड़ने के पश्चात कच्चा रास्ता लगा हुआ है।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गिरौल जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-9 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावितस्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में 50 पेड़ बेरियर जोन में लगे हुए हैं जिनका काटा जाना प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावितस्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पश्चिम दिशा-प्राकृतिक नाला लीज के समीप है अतः 50मी. का गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित किया है। पश्चिम दिशा-रेलवे लाइन 523 मी.
प्रस्तावितखदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-64 के सरल क्रमांक-45 पर दर्ज है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	टोटल लीज एरिया पेरिफेरि 716 मी. में से 60 % (430m) फेन्सिंग का कार्य हुआ है। 40 % (286m) अभी बाकी है।

ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार 200 पौधे लगाये जाने थे अतः 50 पौधे लीज क्षेत्र के 7.5 मी. बैरियर जोन एवं केशर के पास में लगाये गये हैं।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। टोटल गारलेण्ड ड्रेन पेरिफेरि 696मी. में से केवल 140मी. गारलेण्ड ड्रेन बना हुआ है। 556 मी बाकी है। एवं एक सेटलिंग टैंक बना है।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	बैचेस अवलोकित नहीं है।
रेस्ट शेल्टर, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था की वर्तमान स्थिति	सभी सुविधाओं के साथ रेस्ट शेल्टर का निर्माण करवाया गया है। जिसमें शौचालय व पीने के पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध है। खदान क्षेत्र में प्रथमिक चिकित्सा के लिए फास्ट-एड बॉक्स भी उपलब्ध है।
7.5 मी बैरियर जोन की स्थिति	7.5 मी बैरियर जोन चारो तरफ से सुरक्षित है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सी.ई.आर मद से 1,30,000 (बिना सब्सिडी के) की राशी से ग्राम गिरौल के शासकीय प्राथमिक शाला में 3 Kw सोलर पैनल लगाया जायेगा।
उत्खनन किया हुआ क्षेत्र	7774 m x 4.0m = 31,096cum

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य पाई गई।

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-22,500 घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क्रशर प्रस्तावित है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रशर में वायु प्रदूषण रोधि उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायों/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु.7.27 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 1.45 लाख प्रति वर्ष।

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 1,30,000 (बिना सब्सिडी के) की राशी से ग्राम गिरौल के शासकीय प्राथमिक शाला में 3 किलोवॉट का सोलर पैनल लगाया जायेगा।	1,30,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 400 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर द्वारा जारी संचालन सम्मति दिनांक 28/06/2022 (सीटीओ) पत्थर- 10000 घनमीटर /वर्ष की है परंतु उत्पादन क्षमता में विस्तार पत्थर- 22500 घनमीटर /वर्ष प्रस्तावित किया गया है । अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ओएम दिनांक 14/01/2025 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संशोधित कमेन्ट्स/सीटीई की प्रति प्राप्त होते ही प्रकरण पर पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसा हेतु विचार किया जावेगा।

13. Case No P2/1746/2025 Shri SANJAY CHAUHAN, Owner, S/o Madan Mohan Singh chauhan, BSF 08, Ansal Palm Court, Near Sakhi Ke Hanuman Temple, Pichhor Medical , Pichhor. Prior Environment Clearance for M/s Manikpur Stone Mine in an area of 2.00 ha. (17675 cum per annum) (Khasra No. 611 PART,) Village- Manikpur, Tehsil- Prathvipur, District- Niwari (M.P.).[521015] (DEIAA)(B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 19/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार Smt. Swati Namdeo, FAE, M/s. AGS ENVIRONMENTAL SERVICES PVT. LTD. Delhi उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री SANJAY CHAUHAN, Owner, S/o Madan Mohan Singh chauhan, BSF 08, Ansal Palm Court, Near Sakhi Ke Hanuman Temple, Pichhor Medical , Pichhor.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	611 PART (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village- Manikpur, Tehsil- Prathvipur, District- Niwari (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 729 दिनांक 19/07/2016 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	DEIAA प्रकरण।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 11 दिनांक 26/05/2016 के द्वारा पत्थर-पत्थर-17675 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापति प्राप्त है।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार आवेदित स्थल पर केशर प्रस्तावित है ।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर सम्मति आर्डर दिनांक 18/05/2022 के द्वारा जारी संचालन सम्मति (सीटीओ) की वैधता दिनांक 03/05/2026 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-17675 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-17675 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 471 दिनांक 21/01/2025 अनुसार 500 मीटर की परिधि 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.00 होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	

राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/ एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 471 दिनांक 21/01/2025 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 471 दिनांक 21/01/2025 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 471 दिनांक 21/01/2025 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत डुमडुमा जिला टीकमगढ़ के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 25/09/2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि लीज क्षेत्र में 45 पेड़ हैं जिनमें से कोई भी पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा-आबादी 192 मी.
	दक्षिण दिशा-
	पूर्व दिशा- पक्का रोड़ - 131 मी इस संबंध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि 70 मी. का गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित किया गया। तालाब - 142 मी. पश्चिम दिशा- तालाब -234 मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-33 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	टोटल लीज एरिया पेरिफेरी 863मी. में से 90 % (777m) फेन्सिंग का कार्य हुआ है। 10 % (86 m) अभी बाकी है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार 200 पौधे लगाये जाने थे अतः 46 पौधे लीज क्षेत्र के 7.5 मी. बैरियर जोन एवं केशर के पास में लगाये गये हैं।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। टोटल गारलेण्ड ड्रेन पेरिफेरी 873 मी. में से केवल 100मी. गारलेण्ड ड्रेन बना हुआ है। 773 मी बकी है। एवं एक सेटलिंग टैंक बनाया जायेगा।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	बैचेस अवलोकित नहीं है।
रेस्ट शेल्टर, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था की वर्तमान स्थिति	सभी सुविधाओं के साथ रेस्ट शेल्टर का निर्माण करवाया गया है। जिसमें शौचालय व पीने के पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध है। खदान क्षेत्र में प्रथमिक चिकित्सा के लिए फास्ट-एड बॉक्स भी उपलब्ध है।
7.5 मी बैरियर जोन की स्थिति	7.5 मी बैरियर जोन चारो तरफ से सुरक्षित है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सी.ई.आर मद से 1,30,000 (बिना सब्सिडी के) की राशी से ग्राम मानिकपुरा के शासकीय प्राथमिक शाला में 3 Kw सोलर पैनल लगाया जायेगा।
उत्खनन किया हुआ क्षेत्र	4768m x 9.0m = 42,912cum

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य पाई गई।

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 17,675 घनमीटर/वर्ष

2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क्रशर/एमसेंड प्लांट प्रस्तावित है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित एमसेंड प्लांट में वायु प्रदूषण रोधि उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायों/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू.7.22 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 1.45 लाख प्रति वर्ष।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से 1,30,000 (बिना सव्सिडी के) की राशी से ग्राम मानिकपुरा के शासकीय प्राथमिक शाला में 3 किलोवॉट सोलर पैनल लगाया जायेगा।	1,30,000

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 400 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के दिनांक 18/05/2022 के द्वारा जारी संचालन सम्मति (सीटीओ) पत्थर- 17675 घनमीटर /वर्ष की है परंतु आवेदित स्थल पर क्रेशर प्रस्तावित है, अतः संशोधित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ओएम दिनांक 14/01/2025 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कमेन्ट्स/सीटीई की प्रति प्राप्त होते ही प्रकरण पर पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसा हेतु विचार किया जावेगा।

14.Case No. P2/1747/25, Ritik Agrawal S/o Shri Naveen Agrawal R/o: 117, R/O: Sardar Patel Marg Mandleshwar, Tehsil Maheshwar District Khargone, Madhya Pradesh District: -Khargone, Prior Environment Clearance for Sangvi Stone (Gitti&M-sand) Quarry in an area of 2.0 ha. [Stone (gitti)-5,000 m³/year & M-sand: 5,000 m³/year], (Khasra No. 197/3 (Govt. Land), Village- Sangvi, Tehsil- Maheshwar, District- Khargone (M.P.) [536710] (Fresh -B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 19/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मा, Super Tech Environmental Services, Bhopal (M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Ritik S/o Shri Naveen Agrawal R/O: Sardar Patel Marg Mandleshwar, Tehsil Maheshwar District Khargone, M.P.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	197/3 (सरकारी भूमि)	2.0 hectare.
स्थल	ग्राम सांगवी, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 5064 दिनांक 20/01/2025 के लिए स्वीकृत 10 वर्ष की अवधि हेतु ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की Outward No:29183 दिनांक 10/06/2025 वैधता दिनांक Consent to Establish for setting up of an Crusher plant & Mine activities at KHASRA NO. 197/3, VILLAGE-SANGVI, TEHSIL-MAHESHWAR, DISTRICT-KHARGONE (M.P.),	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन-5000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड- 5000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन-5000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड- 5000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 47	

अन्य खदानें	दिनांक 08/04/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / एसईजेडसे दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 47 दिनांक 08/04/2025 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 47 दिनांक 08/04/2025 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 47 दिनांक 08/04/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में दक्षिण दिशा में पी.एच.ई. रोड 50 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम समराज, जिला खरगोन (M.P.) के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 13 दिनांक 12/10/2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावितस्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि प्रस्तावित खदान क्षेत्र में स्थित 11 पेड़ों में से 08 पेड़ काटे जाना प्रस्तावित हैं इसके एवज में 80 अतिरिक्त पेड़ लगाये जाएंगे।
प्रस्तावितस्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा उत्खनिपट्टे से पश्चिम दिशा में 55 मीटर पर एक पक्का रोड स्थित है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार पक्के रोड से 100 मीटर तक कोई खनन कार्य नहीं किया जावेगा एवं शेष क्षेत्र में खनन कार्य बिना ब्लास्टिंग के रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा ।
	उत्तर दिशा उत्खनिपट्टे से उत्तर पश्चिम दिशा में 145 मीटर पर एक नाला स्थित है। उत्खनिपट्टे से उत्तर पूर्वी दिशा में 50 मीटर पर एक हॉल रोड /पगडण्डी स्थित है ।
	दक्षिण दिशा उत्खनिपट्टे से दक्षिण दिशा में 420 मीटर पर एक कच्चा रास्ता गुजर रहा है ।

प्रस्तावितखदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 45 दिनांक 08/04/2025 के उक्त प्रकरण में संपूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरांत उक्त खनिज पत्थार एवं एम सैंड का उत्खनिपट्टा को नवीन जिला सर्वेक्षण में सम्मिलित कर लिया जावेगा
---	---

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा पाया गया की उत्खनिपट्टे क्षेत्र के उत्तरी भाग में खुदा हुआ परिलक्षित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि परिलक्षित हो रहा गड्ढा नवीन सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 20-01-2025 से पहले का खुदा हुआ है जिसका उल्लेख अनुमोदित खनन योजना में भी किया गया है । पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा खरगोन खनिज अधिकारी द्वारा जारी पत्र क्रमांक 851/खनिज/25 दिनांक 18-08-2025 प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेखित किया गया है कि उत्खनिपट्टे के 500 मीटर कि परिधि में गैर सदृश्य (Non-Homogeneous) खनिज मुरुम हेतु एक अन्य खदान रकबा 2.0 हेक्टेयर स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त लीज क्षेत्र के अंदर क्रेशर प्लांट एवं कुछ साइट ऑफिस स्थित है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि उक्त पूर्व में स्वीकृत खदान का क्रेशर प्लांट एवं साइट ऑफिस स्थित है एवं क्रेशर प्लांट को हटा दिया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी निम्नानुसार है:-

- 1- अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्पादन क्षमता - गिट्टी पत्थर 5000 घनमीटर/वर्ष एवं एम् सैंड -5000 घनमीटर/वर्ष।
- 2- परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खनन हेतु ब्लास्टिंग प्रक्रिया प्रस्तावित नहीं है।
- 3- परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में एम् सैंड क्रेशर प्लान्ट प्रस्तावित है।
- 4- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल रा राशि रू. 13.29 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 2.76 लाख प्रति वर्ष।
- 5- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.50 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	Solar panel system of 3 kW capacity will be installed at govt. middle school of village Sangvi.	1,20,000
2.	Educational paintings on the wall and science related educational tools will be distributed at the same govt middle school	30,000
योग		1,50,000

--	--	--

6- वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2480 वृक्षों का वृक्षारोपण ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि पेसा संबंधी एनओसी प्रक्रिया में है जो शीघ्र ही प्रस्तुत की जावेगी। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पेसा संबंधी एनओसी प्राप्त होते ही प्रकरण पर पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसा हेतु विचार किया जावेगा।

15. Case No P2/1748/2025 Shri RAJENDRA PRASAD URMALIYA, Authorised Person, Village - Khajuri, Post - Badkhera Via Niwar, District - Katni (M.P.) Prior Environment Clearance for M/s Bhadra Fireclay Mine in an area of 2.09 ha. (9348 Tons per Annum) (Khasra No. 660, 661 (Part) & 622 (Part)) Village – Bhadra (Imaliya), Tehsil – Murwara, District – Katni (M.P.).[521028] (DEIAA)(B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 19/08/25 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र प्रसाद उरमलिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स Zenith Environment Consultancy, Noida, Uttar Pradesh उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री Rajendra Prasad Urmaliya, Authorised Person, Village - Khajuri, Post - Badkhera Via Niwar, District - Katni (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	660, 661 (Part) & 622 (Part) (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड) एक खसरा के भू स्वामी परियोजना प्रस्तावक स्वयं है और अन्य भू स्वामियों की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है ।	2.09 hectare.
स्थल	Village – Bhadra (Imaliya), Tehsil – Murwara, District – Katni (M.P.).	
लीज स्वीकृति	लीज डीड दिनांक 24/05/2016 के अनुसार दिनांक 02/08/2023 तक अनुबंधित ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	NA	
प्रकरण की स्थिति	DEIAA	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया कटनी के पत्र क्रमांक 192 दिनांक 09/02/2018 के द्वारा पत्थर-Fireclay-9561 Tons per Annum हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	फार्म-2 के सरल क्रमांक 33.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कटनी द्वारा दिनांक 17/07/2021 के द्वारा जारी संचालन सम्मति (सीटीओ) की वैधता दिनांक 31/12/2024 तक थी।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Fireclay-9348 Tons per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Fireclay-9348 Tons per Annum है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1016 दिनांक 20/05/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.94 होता है, अतः प्रकरण बी-	

	2 श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/ एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1016 दिनांक 20/05/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1016 दिनांक 20/05/2024 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1016 दिनांक 20/05/2024 अनुसार आवेदित क्षेत्र के पूर्व दिशा में 195 मीटर पर रेल्वे लाईन एवं दक्षिण दिशा में लगभग 350 मीटर की दूरी पर तालाब स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापति	ग्राम पंचायत इमलिया जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-30 दिनांक 15/08/2012 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपति नहीं है का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र में पेड़ नहीं हैं मात्र झाड़ियां हैं।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र के उत्तर पश्चिम दिशा से एक हॉलेज रोड निकल रही है।
	दक्षिण दिशा- स्ट्रक्चर 45 मी.
	पूर्व दिशा-रेलवे लाइन - 119 मी.
	उत्तर - पश्चिम दिशा-आबादी 220 मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-32 के सरल क्रमांक-10 पर दर्ज है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति।	प्रस्तावित खदान की कुल परिधि 1091 मीटर में से 80 प्रतिशत (856 m) भाग में तार फेन्सिंग की गई है, अथवा शेष 20 प्रतिशत

	(215 m) भाग में तार फेन्सिंग का प्रस्ताव दिया गया है। अथवा शेष 20 मीटर परिवहन मार्ग हेतु छोड़ा जायेगा।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7 ^७ 50 मीटर पर वृक्षारोपण।	ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार 105 पौधे लगाये जाने थे जिसमे से 50 पौधे लीज क्षेत्र के 7.5 मी. बेरियर जोन के पास में लगाये गये है। तथा बाकी पौधे का ग्रामवासियो में वितरण कर दिया
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति।	अपूर्ण पायी गई। कुल क्षेत्र की परिधि 1091 मीटर में से 1071 मीटर की गारलेण्ड ड्रेन व 2 सेटलिंग टैंक की व्यवस्था की जाएगी अथवा शेष 20 मीटर परिवहन मार्ग हेतु छोड़ा जायेगा।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	बैचेस अवलोकित नहीं है।
रेस्ट शेल्टरए शौचालयए पीने के पानी की व्यवस्था की वर्तमान स्थिति।	सभी सुविधाओं के साथ रेस्ट शेल्टर का निर्माण किया जाएगा। जिसमें शौचालय व पीने के पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। खदान क्षेत्र में प्रथमिक चिकित्सा के लिए फस्ट-एड बॉक्स भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
7 ^७ 5 मी बैरियर जोन की स्थिति।	प्रस्तावित खनन क्षेत्र में 7.50 मीटर बेरियर जोन उपस्थित हैं अतः खुदह हुआ नहीं हैं।, अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा बेरियर जोन में वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्यए बजट।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय समय पर सामाजिक कार्य, तथा जल सम्बद्ध योजना के तहत परिसर जल व्यवस्था हेतु 58500/- रु. का योगदान किया गया। परन्तु साक्ष उपलब्ध नहीं है।
उत्खनन किया हुआ क्षेत्र	परियोजना क्षेत्र में पुराने खदान गड्ढे 1 का क्षेत्रफल – 0.2453 हेक्टेयर

	खदान गड्ढे 2 का क्षेत्रफल – 0.4994 हेक्टेयर
--	---

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता फायर क्ले – 9348 टन प्रतिवर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.80 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रु. 3.48 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

Sr. No.	Description	Cost to be incurred (in Rs./Year)
1.	Regarding installation of 03 Kw Solar Panel Govt. Middle School in Village Imaliya	2,80,000
2.	The project proponent will arrange for nature-themed paintings to be created at the Govt. Middle School in Village Imaliya	20,000
3.	Will provide shed & water facility at Cremation Ground, Village Imaliya	30,000
Total		3,30,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2090 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

16. Case No. P2/1749/25, Shri Manoj Kumar Sharma S/o Shri Ramnath Sharma R/o: ward no. 4, Prakashpura, Tehsil- Jatara, District:- Tikamgarh, State: -Madhya Pradesh Prior Environment Clearance for Thar Stone (Gitti & M-sand) Quarry in an area of 3.990 ha. [Stone (gitti)- 5,000 m³/year & M-sand: 95,000 m³/year], (Khasra No. 687 (Govt. Land), Village- Thar, Tehsil- Palera, District- Tikamgarh (M.P.) [541094] (Fresh -B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 19/08/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मा, मेसर्स SUPER TECH ENVIRONMENTAL SERVICES, भोपाल उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री Manoj kumar Sharma, Lessee, R/o-Ward no.-04, Prakashpura, Tehsil- Jatara, District-Tikamgarh, M.P.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	687(Part) (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.99 hectare.
स्थल	Village- Thar, Tehsil- Palera, District- Tikamgarh (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 2111 दिनांक 20/08/24 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	आवेदित फार्म के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के Outward No:22828 दिनांक 10/06/2025 के द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 05/06/2030 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Gitti-5,000 m ³ /year and M-Sand-95,000 m ³ /year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Gitti-5,000 m ³ /year and M-Sand-95,000 m ³ /year है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2253 दिनांक 26/09/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/ एसईजेड से दूरी कोर/ जैव	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2253 दिनांक 26/09/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।	

विविधता बफर	
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2253 दिनांक 26/09/2024 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2253 दिनांक 26/09/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कुडयाला जिला टीकमगढ़ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-2 दिनांक 17/08/2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई ।
प्रस्तावितस्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि प्रस्तावित खदान क्षेत्र में स्थित 10 पेड़ों में से 05 पेड़ काटे जाना प्रस्तावित हैं इसके एवज में 50 अतिरिक्त पेड़ लगाये जाएंगे।
प्रस्तावितस्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- -उत्खनिपट्टे के उत्तर दिशा में 6 मीटर की दूरी पर नाला स्थित है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि नाले से 50 मीटर तक कोई भी खनन कार्य नहीं किया जावेगा । -उत्खनिपट्टे के उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 370 मीटर की दूरी पर एक केसकैंड नाले पर स्थित है । -उत्खनिपट्टे के उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 352 मीटर की दूरी पर मानव बसावट है । दक्षिण दिशा- उत्खनिपट्टे से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 283 मीटर पर उर नदी गुजर रही है । उत्खनिपट्टे से दक्षिण अन्य गुजर रही है पर एक पगडण्डी गुजर रही है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि यह रास्ता किसी ग्राम आदि को नहीं जोड़ रहा है एवं कोई कोई ग्रामीण कच्चा रास्ता नहीं है ।

प्रस्तावितखदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 2632 दिनांक 13/01/25 अनुसार नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान को सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
---	--

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्पादन क्षमता - गिट्टी पत्थर 5000 घनमीटर/वर्ष एवं एम् सैंड 95000 घनमीटर/वर्ष।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क्रशर/एमसेंड प्लांट प्रस्तावित है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रशर/ एमसेंड प्लांट में वायु प्रदूषण रोधि उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 16.90 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 2.82 लाख प्रति वर्ष।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 2.00 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	Solar panel system of 3.0 kw capacity will be installed at village Govt. middle school thar (excluding subsidy) and educational paintings including environment awareness on the walls of the school & Science related educational items will be provided to the govt middle school Thar	1,70,000/-
2.	Whitewash of the village aaganwadi kendra Kudyala & its boundary with educational painting on its wall	30000/-
योग		2,00,000/-

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4840 वृक्षों का वृक्षारोपण ।

17. Case No P2/1734/2025 Shri Vishambhar Dayal Goyal. Partner, SHREE JOURASHI SARKAR STONE CRUSHER, R/o- 407, Millennium Plaza, Govindpuri, Gwalior District- Gwalior (M.P.) Prior Environment Clearance for M/s Lakhanpura Stone (Gitti) Quarry, area of 1.470 Ha, at Khasra No. 48 (Govt. Land), Production- 30,000 Cubic meter/year, village - Lakhanpura, Tehsil- Dabra, & District - Gwalior, (M.P.) (DEIAA).[467527] (B2)

The Proposed Mine is of Prior Environmental Clearance under Category B-2, in which today on 19 /08 /2025 the Project Proponent's Environmental Consultant Ms. Reena Trivedi online , M/s Apex Mintech Consultants, Udaipur (Rajasthan) appeared and made a presentation before the committee.

Project Details	Documents submitted by the project proponent	
Name and address of the project proponent.	Shri Vishambhar Dayal Goyal. Partner, SHREE JOURASHI SARKAR STONE CRUSHER, R/o- 407, Millennium Plaza, Govindpuri, Gwalior District- Gwalior (M.P.) Prior Environment Clearance for M/s Lakhanpura Stone (Gitti) Quarry, Capacity – 30,000 Cubic meter/year. at Khasra No. - 48 (Govt. Land), having an area of 1.470 Ha., situated near Village - Lakhanpura, Tehsil- Dabra, & District - Gwalior, (M.P.) (DEIAA to SEIAA). <u>SIA/MP/MIN/467527/2025.</u>	
Khasra No. /Lease Area (Government/Private)	Khasra No.-48,	Lease Area-1.470 Ha., Govt. Land.
Project Location	Village - Lakhanpura, Tehsil- Dabra, & District - Gwalior, (M.P.).	
Description of Project	The Environmental Clearance is required for mining project for a targeted production of ROM 30,000 cum per annum will be generated during the course of mining.	
Lease Sanction Order details	DGM office, Bhopal letter no. 7120 dated 03/04/2017.	
Project Category	B-2.	
SPCB Comments/CTE details.	PCB ID: 118128, Consent No:CTE-76166, Valid up to 09/05/2021.	
Blasting details	Controlled blasting.	
DEIAA EC details	EC issued DEIAA Gwalior vide letter no. 242 dated 13/09/2018 (Online Copy uploaded). Stone Mining – 35,000 Cubic meters per year.	
Product & Capacity details	➤ Stone (Gitti)– 30,000 Cubic meter/year.	
Other mines within 500 meter radius	According to the Ekal Certificate dispatch no. 1511 dated 19/12/2023 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Gwalior, 01 other mines are operated / approved within the radius of	

	500 meters, thus the Total Area is 2.610 ha. It happens, hence the case is of B-2 Category.
Distance from National Park/ Sanctuary/SEZ to Core/Biodiversity Buffer	According to the Ekal Certificate dispatch no. 1511 dated 19/12/2023 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Gwalior, there is no National Park/Sanctuary/Eco Sensitive Zone Biodiversity area located within the radius of 10 kilometers.
Situation of forest area at a distance of 250 meters from the proposed site.	According to the Ekal Certificate Dispatch No. 1511 dated 19/12/2023 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Gwalior, there is no forest area within the radius of 250 meters.
Tehsildar's no objection.	As per EKAL Certificate Dispatch No. 1511 dated 19/12/2023 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Gwalior, within a radius of 500 meters there is no Human settlement, Educational Institution, Hospital, Archaeological heritage, monument of national importance, Railway line / Public building / Cremation ground. National Highway / sensitive areas such as: Radio Station, Doordarshan, Airport, Defense institute and Aquatic body / River / Pond / Dam / Stop Dam / Canal / Rural unpaved / paved road / drain.
NOC from Gram Sabha/Gram Panchayat.	As per the resolution proposal number 35 dated 03/10/2014 of Gram Panchayat -Ladera, District - Gwalior, the Panchayat has no objection to the mining work at the proposed site.
Present status of trees at the proposed site	The Project Proponent's Environmental Consultant informed that Tree Existing in Barrier Zone – 50 and no tree felling is proposed .
Current status of the proposed site as per Google Image.	North- West – Kachha road 166 mt. South-canal – 428 mt.
Status of the proposed mine in the district survey report (DSR)	The project proponent informed that the details of this mine are recorded on serial number - 92 of page no. - 39 of the approved new District Survey Report of the District. After discussion, the committee decided that in the context of the decision taken in the 739th meeting of the MPSEIAA dated 29/07/2022 (in Case 9261/2022 - issued letter no. 1306 dated 04/08/22), this case should also be examined in view of environmental sensitivity and recommended to SEIAA for environmental approval

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेंसिंग की वर्तमान स्थिति	587 मीटर की लम्बाई में से 230 मीटर पर फेंसिंग की गई है एवं 357 मीटर पर फेंसिंग बाकि है
अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन में 50 वृक्ष लगे हुए हैं

गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 20 प्रतिषत पायी गई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 50 पेड़ लगाये गये एवं 50 पेड़ बांटे गये।
ई.सी में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक विकास के लिए पीपी द्वारा विभिन्न ईएसआर गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। इनमें से कुछ गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं: सामाजिक विकास के लिए, जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से हम विभिन्न सी एस आर गतिविधियाँ संचालित की हैं। लखनपुरा के शासकीय विद्यालय समतलीकरण के लिए 32 डम्पर गिट्टी प्रदान की गई है एवं J.C.B. द्वारा समतलीकरण का कार्य निशुल्क किया गया है।

Based on the presentation given by the project proponent, the Environmental Management Plan, and other submitted information being satisfactory and acceptable, the Committee recommends granting Prior Environmental Clearance with specific and standard conditions as per Annexure-A, as follows:

1. As per the approved mining plan, the maximum production capacity shall be Stone (Gitti)– **30,000 Cubic meter/year**.
2. Under the Environmental Management Plan (EMP) head, the Capital Cost shall be Rs. 7.50 lakh and the recurring cost shall be Rs.2.66 lakh per year.
3. Under the CER head, an amount of Rs. 1.80 lakh shall be allocated as per the details below, and all activities proposed under CER shall be completed within the next 01 year.
- 4.

SN	Proposed Activities under CER Head	Amount (in Rs.)
1	ग्राम लखनपुरा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में 2 किलोवाट का सोलर पेनर स्थापित किया जायगा।	1,20,000
2	ग्राम लखनपुरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में रंग रोगन प्रेणादायक पेंटिंग एवं वैज्ञानिक मॉडल किट दिए जाएंगे	60,000
	कुल	1,80,000

4. As per the plantation program (with continuous irrigation, replacement of dead plants for five years, and maintenance throughout the mining period), at least 1800 trees shall be planted.

18. Case No P2/72/2024 Shri Kuldeep Dubey Owner, Near Shubham lodge, Subhash Coloni, Guna, Guna, Madhya Pradesh-473001, Prior Environment Clearance for M/s JAKHAUDA Flag Stone - 6000 M3/Year, Lease Area- 1.65 ha., at kh No. 947/1,948, VILL.- JAKHAUDA, TEH - GHATIGAON, Distt. Gwalior (M.P.), (520194) (Query Reply EIA)

Earlier this case was discussed in 805th SEAC meeting Dated 26/06/2025 wherein Query was raised.

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में कुल 06 पेड़ हैं (03 महुआ एवं 03 तेन्दू प्रजाति) जो नहीं काटे जायेंगे एवं उत्खनिपट्टे क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम दिशा में 513 मीटर पर एक डेम, उत्तर दिशा में 164 मी. पर पक्का रोड एवं 247 मी. पर आबादी है। पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है

इस क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र (2,255 वर्ग मी.) के रूप में छोड़ा गया तथा उत्खनिपट्टे क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 432 मीटर पर NH-46 पर एवं दक्षिण दिशा में एक पक्का रोड 200 मी. की दूरी पर है।

Committee have observed that EIA uploaded on dated 05/05/2025 (Serial No 6) and on dated 19/02/2025 (Serial No 13). The EIA 05/05/2025 is discussed and following clarification is required from PP

1. Page 6 Para 1.4.3 structure of EIA chapter 8, 9 is not proper. Page 7 to 10 TOR Conditions Number 2, 7, 14 and Page 13 TOR conditions 1,9 (Dec 2022 to Feb 2023) requires clarification.
2. EIA Page 35, water balance flow chart, reveals that 1.08kld W.W. is proposed to dispose through tankers, hence clarification is required.
3. EIA P42,48,52 and 57 there are 17 photographs but only 02 are geotag ? Page 50 table 3.6 water quality below E is mentioned pl clarify.

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 26/06/2025 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Kuldeep Dubey, Owner (online)**, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **श्री कृष्ण चंद्र पांडा, ऑनलाइन** एवं **श्री प्रदीप लोधी एफ.ए.ई. मेसर्स ओसियो इन्वारो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.)** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष सिएक की 805वीं बैठक दिनांक 26/06/25 में चाही गई जानकारी के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया गया।

Wherein submitted that: -

- All the comments and suggestions raised by the SEAC committee during the meeting have been thoroughly incorporated in the Final EIA-EMP report, as detailed in Chapter 1. The structure of Chapters 8 and 9 has been revised in line with standard guidelines for better clarity and completeness, and the necessary updates have been made in Table No. 4 of Chapter 1. Additionally, all changes and clarifications related to the TOR conditions (Page 7–10: Conditions 2, 7, 14 and Page 13: Conditions 1, 9 from Dec 2022 to Feb 2023) have also been addressed and appropriately incorporated in the final report .

- The water balance flow chart has been updated in the Final EIA/EMP report. The previous mention of disposal of 1.08 KLD wastewater through tankers has been corrected. Now, it is clarified that a sloped pit (soak pit) will be constructed on-site to collect and manage the wastewater generated from domestic use and dust suppression. These updated details have been properly incorporated in **Chapter 2, Section 2.11**, under **Table No. 2.13** and **Figure No. 2.7** of the Final EIA/EMP report .
- All the comments and observations raised by the SEAC committee during the meeting, including those related to monitoring photographs and water quality data, have been duly addressed in the Revised Final EIA/EMP report. As per the suggestions, geotagged monitoring photographs have now been included in Chapter 3 of the revised report for proper verification and documentation. Additionally, the discrepancy related to Table 3.6 (Page 50), where water quality was mentioned as “below E”, has been corrected and clarified. All required corrections and updates as pointed out by the committee have been appropriately incorporated into the Final EIA/EMP report.

Based on the presentation given by the project proponent, the Environmental Management Plan, and other submitted information being satisfactory and acceptable, the Committee recommends granting Prior Environmental Clearance with specific and standard conditions as per Annexure-A, as follows:

1. As per the approved mining plan, the maximum production capacity shall be **Flagstone 6,000 Cubic meter/year**.
2. Under the Environmental Management Plan (EMP) head, the Capital Cost shall be Rs. 17.55 lakh and the recurring cost shall be Rs.4.91 lakh per year.
3. Under the CER head, an amount of Rs. 2.50 lakh shall be allocated as per the details below, and all activities proposed under CER shall be completed within the next 01 year.

CER		
S. No.	Particular	Amount
1.	सी. ई.आर .गतिविधि के लिए गाँव समीप के शासकीय माध्यमिक विद्यालय जाखौदा में 3 वाट का सोलर पेनल की व्यवस्था की जाएगी	1,00,000
2.	सी. ई.आर .गतिविधि के लिए गाँव समीप के शासकीय माध्यमिक विद्यालय जाखौदा में साइंस मॉडल की भी व्यवस्था की जाएगी	50,000
3.	सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम जाखौदा में कराया जावेगा	1,00,000
Total		2,50,000

4. As per the plantation program (with continuous irrigation, replacement of dead plants for five years, and maintenance throughout the mining period), at least 2020 trees shall be planted.

19. Case No 10917/2023 Shri Alok Singh, Partner, M/s Mahamaya Stone, LLP, R/o Circle Piprahi Mauja Nakwar Pancha Hanumana, District-Rewa (MP) - 486335, Prior Environment Clearance for M/s Beeradei Stone Quarry in an area of 2.424 ha. (38190 cum per year) (Khasra No. 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 306/2), Village-Biradei, Tehsil-Hanumana, District-Rewa (MP) [520718] (Query Reply EIA)

Earlier this case was discussed in 807th SEAC meeting Dated 03/07/2025 wherein Query was raised

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि खदान क्षेत्र में 08 पेड़ एवं कुछ झाड़ियाँ हैं इनमें से 04 पेड़ बबूल प्रजाति के काटा जाना प्रस्तावित है शेष 04 पेड़ संरक्षित किये जावेंगे। लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में लगभग 66 मी. की दूरी पर एवं उत्तर-पश्चिम दिशा लीज के समीप में कुछ कच्चे घर हैं इस संबंध में पर्यावरण सलाहकार ने यह बताया कि ये खदान मजदूरों के रेस्ट शेल्टर हैं जो कि परियोजना प्रस्तावक के स्वयं के हैं तथा दक्षिण पश्चिम दिशा में 280 मी. की दूरी पर आबादी है एवं दक्षिण दिशा में 280 मी. की दूरी पर एक कच्ची रोड़ है ।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

1. ईआईए रिपोर्ट (28/01/2025) में पृष्ठ-5-24, टॉर बिन्दुओं 9,10,12,13,14,15 एवं 18 में नोटेड/कम्पलाईड/नोटेड एण्ड एग्रीड अंकित है को स्पष्ट करते हुये चेप्टर एवं पैरा का संदर्भ दिया जाये। ईआईए रिपोर्ट चेप्टर-2 पैरा 2.5.8 में गारलेण्ड ड्रेन का साईज अंकित किया जाय। पृष्ठ-13 में माईनिंग 12 मीटर तथा आगामी 6 मीटर अर्थात कुल 18 मीटर गहराई का उल्लेख है, पृष्ठ-12 पर यह 20 मीटर उल्लेखित है, स्थिति स्पष्ट करें।
2. ईआईए के चेप्टर-3 में पृष्ठ-2 पैरा-3.3 पर बेस लाईन डाटा मॉनिटरिंग अवधि माह अक्टूबर-दिसम्बर 2023 में दर्शाई गई है परन्तु संबंधित जियोटेग फोटोग्राफ पृष्ठ-6,7 एवं 13 पर दिनांक 25/01/2024 अंकित है कृपया स्पष्ट करें। पृष्ठ-16 अण्डर ग्राउण्ड तथा सरफेस वाटर सेम्पल में ग्राम एवं स्थानों का नाम, स्रोत का विवरण अंकित किया जाये। ईआईए के पृष्ठ-18, 25 के फोटोग्राफ में जल तथा मृदा सैम्पल की तिथि दिनांक 25/01/2024 अंकित है, बेस लाईन डाटा मॉनिटरिंग अवधि माह अक्टूबर-दिसम्बर 2023 में दर्शाई गई है।
3. ईआईए रिपोर्ट के चेप्टर-3 पृष्ठ-32, पैरा 3.11.4.1 फ्लोरा 500 मीटर में सेंड माईन का उल्लेख है? पृष्ठ-43-44 में अंकित विवरण (हेल्थ इम्पेक्ट) का ईएमपी में उल्लेख नहीं है। पृष्ठ-57 पर निष्कर्ष भी पुनः देखें।
4. ईआईए चेप्टर-11 के पृष्ठ क्रमांक 4 पर वाटर क्वालिटी डी तथा चेप्टर-3 पृष्ठ-23 में सी अंकित है? स्पष्ट किया जाये। ईआईए रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांक 43 एवं 44 पर इम्पेक्ट ऑन हेल्थ का विवरण है तदनुसार ईएमपी में सुधार अपेक्षित है। लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में

लगभग 66 मी. की दूरी पर एवं उत्तर-पश्चिम दिशा लीज के समीप में कुछ कच्चे घर हैं इस संबंध में ईआईए में नोटेड लिखा है वहाँ कम्पलाईन्स की शर्त ईआईए रिपोर्ट के पेज नम्बर के साथ उल्लेख करें।

5. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये गये संवेदनशील बिन्दुओं/शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था/प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में विज्ञान मॉडल वितरण एवं विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल पेन्टिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 26/06/2025 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Kuldeep Dubey, Owner (online)**, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **श्री कृष्ण चंद्र पांडा, ऑनलाइन एवं श्री प्रदीप लोधी एफ.ए.ई. मेसर्स ओसियो इन्वारो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.)** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष सिएक की 807वीं बैठक दिनांक 03/07/25 में चाही गई जानकारी के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की गई:-

- टॉआर कंप्लायंस में जिन बिंदुओं पर "Noted & Agreed" अंकित था, उन्हें संशोधित कर सही कर दिया गया है। यह संशोधन Revised Final EIA रिपोर्ट के चैप्टर-1, सेक्शन 1.6 (ToR Compliance) में किया गया है, जो कि ADS reply के Annexure-1 (Revised Final EIA) के रूप में संलग्न है।
- Settling Tank तथा Garland Drain से संबंधित विवरण Final EIA रिपोर्ट के चैप्टर-2, सेक्शन 2.6.8 में जोड़ दिए गए हैं।
- पृष्ठ-12 पर दर्शाई गई 20 मीटर गहराई - Total Geological Reserves को दर्शाती है, जबकि पृष्ठ-13 पर उल्लिखित 18 मीटर गहराई, 5 वर्षों (plan period) की खनन योजना (Mining Scheme) के अनुसार प्रस्तावित खनन गहराई है। उपरोक्त विवरण माइनिंग प्लान के पृष्ठ क्रमांक 11 में अंकित है।
- त्रुटिवश लगाये गए फोटोग्राफ्स की हटाकर सम्बंधित फोटोग्राफ्स चैप्टर-3 में संलग्न कर दिए गए हैं,
- पृष्ठ-16 में अंडरग्राउंड तथा सरफेस वाटर सैंपल हेतु ग्राम एवं स्थानों का नाम तथा स्रोत का विवरण Final EIA रिपोर्ट के चैप्टर-3 में सुधार कर दिया गया है
- त्रुटिवश लगाये गए फोटोग्राफ्स की हटाकर सम्बंधित फोटोग्राफ्स चैप्टर-3 में संलग्न कर दिए गए हैं,
- विसंगति त्रुटिवश हो गया था - एवं सुधार कर लिया गया है एवं भविष्य में भी ध्यान दिया जायेगा की इस प्रकार की त्रुटियों न हो ।

- ईआईए रिपोर्ट के चैप्टर-3, पैरा 3.11.4.1 में संशोधित कर सही कर दिया गया है, जो कि ADS reply के Revised Final EIA के रूप में संलग्न है।
- हेल्थ इम्पैक्ट के mitigation EMP चैप्टर 10 में सेक्शन 10.3.9 में उल्लेखित कर दिया गया है
- पृष्ठ-57 पर दिए गए निष्कर्ष की समीक्षा कर ली गई है तथा उसे Revised Final EIA रिपोर्ट में सुधार कर दिया गया है।
- अध्याय-3 एवं अध्याय-11 में जल गुणवत्ता से संबंधित आवश्यक सुधार कर दिए गए हैं, जो कि ADS reply के Annexure-1 (Revised Final EIA) के रूप में संलग्न है।
- हेल्थ इम्पैक्ट के mitigation EMP चैप्टर 10 में सेक्शन 10.3.9 में उल्लेखित कर दिया गया है
- लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में लगभग 66 मीटर तथा उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित कच्चे मकानों को ध्यान में रखते हुए उचित off-set को रखते हुए Surface Map तैयार किया गया है जिसके अनुसार mining operations किया जायेगा गया है, जिसे अध्याय-2 के अनुभाग 2.9 में दर्शाया गया है।
- TOR कंप्लायंस की सभी शर्तों को सुधार दिया गया है एवं NOTED की जगह उसका उचित उत्तर दिया गया है ।
- माननीय समिति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, एवं जनसुनवाई में उठाए गए संवेदनशील बिंदुओं को संज्ञान में लेते हुए CER में आवश्यक बदलाव कर दिया गया है
 - शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पैनल/सोलर लाइट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल वितरण एवं विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल पेंटिंग के लिए प्रत्येक कार्य हेतु ₹1-1 लाख रुपए आवंटित करने का प्रावधान दिए गए हैं।
- जानकारी चैप्टर-10, सेक्शन 10.4 की टेबल क्रमांक 10.6 में उल्लिखित है

Based on the presentation given by the project proponent, the Environmental Management Plan, and other submitted information being satisfactory and acceptable, the Committee recommends granting Prior Environmental Clearance with specific and standard conditions as per Annexure-A, as follows:

1. As per the approved mining plan, the maximum production capacity shall be **Stone 38,190 Cubic meter/year**.
2. Under the Environmental Management Plan (EMP) head, the Capital Cost shall be Rs. 18.21 lakh and the recurring cost shall be Rs.3.63 lakh per year.
3. Under the CER head, an amount of Rs. 2.20 lakh shall be allocated as per the details below, and all activities proposed under CER shall be completed within the next 01 year.

CER		
S. No.	Particular	Amount
1.	सी. ई.आर .गतिविधि के लिए गाँव समीप के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल पिपराही में किलोवाट का सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था की जाएगी	1,20,000
2.	सी. ई.आर .गतिविधि के लिए गाँव समीप के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल पिपराही की पुताई एवं शौचालय के मरम्मत का कार्य कराया जायेगा	1,00,000
	Total	2,20,000

4. As per the plantation program (with continuous irrigation, replacement of dead plants for five years, and maintenance throughout the mining period), at least 3117 trees shall be planted.

20. Case No P2/1615/2025 Shri Anand Jaiswal S/o S/o Shri Ramnarayan Jaiswal R/o: 117, MG Marg, Bhikangaon, District- Khargone, Madhya Pradesh, State: - Madhya Pradesh . Prior Environment Clearance for Amankhedi Stone (Gitti&M-sand) Quarry in an area of 3.50 ha. [Stone (gitti)-12,000 m³/year & M-sand: 12,000 m³/year], (Khasra No. 16/1 & 16/2 (Govt. Land), Village- Amankhedi, Tehsil- Bhikangaon, District- Khargone (M.P.) [539043] (Query Reply B2)

Earlier this case was discussed in 813th SEAC meeting Dated 22/07/2025 wherein Query was raised

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए:-

- उत्खनिपट्टा पैसा ग्राम के अंतर्गत आता है अतः पैसा ग्राम अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करें। उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृती अनुशंसा की कार्यवाही की जावेगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उत्खनिपट्टे के पूर्वी दिशा में परिलक्षित हो रहा गड्ढा पूर्व में स्वीकृत खदान का गड्ढा है जो कि वर्ष 2023 में निरस्त किया जा चुका था एवं वर्तमान में स्वीकृत अथवा संचालित नहीं है जिसके सम्बन्ध में कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला खरगोन मध्य प्रदेश द्वारा उक्त उत्खनिपट्टे हेतु जारी निरस्ती पत्र क्रमांक 884 दिनांक 21-07-2023 प्रस्तुत किया गया। अतः उत्खनिपट्टे के 500 मीटर की परिधि में वर्तमान केवल 1 उत्खनिपट्टा रकबा 1.0 हेक्टेयर स्वीकृत व संचालित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी निम्नानुसार है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्पादन क्षमता – गिट्टी पत्थर 12000 घनमीटर/वर्ष एवं एम् सैंड-12000 घनमीटर/वर्ष।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क़शर /एम सैंड प्लान्ट प्रस्तावित है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क़शर /एम सैंड प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 16.30 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 1.87 लाख प्रति वर्ष।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.30 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	Solar Panel System of 3.0 Kw Capacity will be installed at Govt. middle School of village Amankhedi & whitewash of it with educational painting on the walls.	1,30,000/-
	योग	1,30,000/-

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4240 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 19/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मा, M/s. Super Tech Environmental Services, Bhopal (M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

- The proposed mine is of prior environmental clearance under category B-2, today on 19/08/2025 the environmental consultant Shri Shishupal Varma, Super Tech Environmental Services, Bhopal appeared and submitted that our case no. P2/1615/2025 Amankhedi Stone (Gitti & M-Sand) Quarry was scheduled in SEAC agenda 813 dtd 22-07-2025 and as per the minutes of the same the mine lease lies under the notified area (Pesa gram) and for which we are asked to submit the NOC regarding the PESA Act from gram sabha. We would like to inform here that we have obtained the PESA Gram NOC from Gram panchayat Panchayat Bhikangaon District Khargone (M.P) vide letter no 12/P/2025 dtd 18-06-2025 and hereby submitting the same.

Committee recommended the case for Prior Grant of EC, as per condition made in the SEAC meeting 813th dtd. 22-07-2025.

21. Case No P2/1427/2025 Shri Avinash Landge, Director, PROSPECT RESOURCES PRIVATE LIMITED, Regd. Office:84, Maker Chambers III, Nariman Point, Mumbai 400021. Prior Environment Clearance for M/s PROSPECT RESOURCES PRIVATE LIMITED, Stone Mine in an area of 6.51 ha. (ROM Containing Gold, Silver and other Base Metals-33214 Tons per Annum) (Khasra No. 1536(P), 1537(P), 1557, 1563(P), 1564(P), 1565(P) & 1576(P)) Village-IMALIYA Tehsil- Dhimarkheda District Katni (M.P.). [547234] (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1/2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 19/08/2025 को परियोजना प्रस्तावक श्री काशीनाथ मराठे ऑनलाइन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव एवं सुश्री गरिमा श्रीवास्तव M/s. Aseries Envirotek India Pvt Ltd, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री Avinash Landge, Director, PROSPECT RESOURCES PRIVATE LIMITED, Regd. Office:84, Maker Chambers III, Nariman Point, Mumbai 400021.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1536(P), 1537(P), 1557, 1563(P), 1564(P), 1565(P) & 1576(P) (निजी/सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	6.51 hectare.
स्थल	Village-IMALIYA Tehsil- Dhimarkheda District Katni (M.P.).	
लीज स्वीकृति	अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधान विभाग, मंत्रालय-भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-3-4/2020/12/22020/12/2 दिनांक 21/09/2020 के द्वारा 50 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Muffle Blasting	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के पत्र Outward No:123391 दिनांक 11/08/2025 के द्वारा Mining of Ore Containing Gold and Other Base Metals- 33,214 Metric Ton Per Year स्थापना सम्मति (सीटीई) जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 31/08/2030 तक है ।	
टॉर	समिति द्वारा दिनांक 08/05/2025 के द्वारा स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता ROM Containing Gold, Silver and other Base Metals-33214 Tons per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता ROM Containing Gold, Silver and other Base Metals-33214 Tons per Annum है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	परियोजना प्रस्तावक ने पत्र दिनांक 11/08/2025 के बताया है कि यह प्रकरण मुख्य खनिज है ।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/ एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, जिला कटनी के पत्र क्रमांक 6414 दिनांक 26/06/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, जिला कटनी के पत्र क्रमांक 6414 दिनांक 26/06/2024 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय तहसीलदार, स्लीमनाबाद जिला कटनी के पत्र क्रमांक 068 दिनांक 02/05/2024 अनुसार 2005 मीटर की दूरी पर रेल्वे लाईन एवं 50 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क एवं कच्ची सड़क उत्खनि पट्टा क्षेत्र के मध्य स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत इमलिया जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-1 दिनांक 30/11/2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य किये जाने का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पट्टा क्षेत्र में कुल 47 पेड़ मौजूद हैं, जिन्हें काटा नहीं जाएगा। यदि पेड़ काटने की योजना बनती है, तो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद ही उन्हें काटा जाएगा।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा-- Canal-550 mt.
	दक्षिण पूर्व दिशा- Imaliya Settlements-230 mt.
	पूर्व दिशा- Railway Line- 40 mt.
	खदान क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व दिशा में 40 मीटर की दूरी पर रेलवे लाइन और खदान क्षेत्र के पिलर नंबर 3 से जुड़ा हुआ पक्का रोड पर नहीं पड़ेगा। खदान क्षेत्र के भीतर से गुजरने वाले कच्ची रास्ते को आवश्यकतानुसार जिला कलेक्टर कार्यालय की अनुमति के बाद विस्थापित किया जाएगा।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	प्रस्तावित खदान मुख्य गौण खनिज की होने के कारण डीएसआर आवश्यक नहीं है ।

जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।
-----------	--

During presentation the Env. Consultant submitted following details about the proposed project: -

- परियोजना में भूमिगत खनन (अंडरग्राउंड माइनिंग कट और फील विधि द्वारा) अनुमोदित खनन योजना के अनुसार की जाएगी। परियोजना अंडरग्राउंड माइनिंग कट और फील विधि द्वारा की जावेगी जिसका कोई नकारात्मक प्रभाव क्षेत्र में स्थित शेल्टर तथा भूमि अधिग्रहण, पूर्व पर्यावरणीय अनुमति एवं पट्टा अनुबंध के उपरांत जिला कलेक्टर, कटनी के माध्यम से मिनरल/सरफेस राइट लिया जावेगा। जल निकासी के लिए 83 केलडी और घरेलु उपयोग के लिए 9 केलडी भूजल निकलने के लिए भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण से भूजल निकासी हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र अनापत्ति नंबर NOC/MIN/MP/2025/6093/N दिनांक 25.4.2025 प्राप्त कर ली गई है जिसकी वैधता दिनांक 24.4.2027 तक है। जल निकासी के 83 केलडी का उपयोग प्लांटेशन, धूल दमन और वर्क शॉप तथा मिनरल प्रोसेसिंग और ग्राम पंचायत की मदद से आस पास के किसानों को उनके खेती के उपयोग के लिए दिया जावेगा। टैलिंग पोंड में एकत्रित जल को उपचारित कर पुनः खनिज प्रसंस्करण में प्रयुक्त किया जा सकता है, जिससे जल की खपत में कमी आएगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभावित subsidence को रोकने और उसके प्रभावों को न्यूनतम करने हेतु रिपोर्ट और प्रस्तुतीकरण के समय तकनीकी एवं संरचनात्मक उपायों का विवरण दिया गया है backfilling के कारण ऊपरी सतह को मजबूत सहारा मिलता है, जिससे subsidence का खतरा कम होता है।
- This is an underground mine and in the study area very insignificant impact will be there due to mining operation.**
- The Underground method of mining is preferred due to space restriction and requiring OB development on all the four sides and thus Blocking Huge precious reserve in “Pit Slope”. Huge space is required for storage of OB and Tailing Cakes and leaving almost no space for beneficiation and other structures required.**
- As per DFO Letter, of the Forest Division Officer, Katni, Madhya Pradesh vide Letter no Kr. 4614 Katni dated-26.06.2024, there are no National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, Ramsar site Tiger/ Elephant Reserves and no wild life is present in the vicinity of project site.
- No Schedule 1 Species has been observed during site survey within 10 km radius from the boundary of the lease area. Hence species-specific conservation plan is not required.
- No rehabilitation is required hence R & R Plan is not required.
- The proposed area is a Govt and Pvt land and already allotted to the project proponent for mining. Mineral Resource Department Mantralay, Madhya Pradesh has allotted the Mine Lease area to the project proponent and does not require any CLU (change in land use pattern) or diversion.

- One season Baseline data of water quality, noise level, soil and flora- fauna have been collected from 1st March 2024 to 31st May 2024, by adopting CPCB norms and discussed in Chapter-3 of EIA/EMP Report.
- Provision of green belt all along the periphery of the lease area.
- Personal protective equipment's like earmuffs and earplugs will be provided to workers, working in high noise areas.
- PUC certified vehicle will be used for mitigation of Noise pollution.
- The predicted GLC of PM10 viz. 3.144 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ for 24 hours Average Concentration was predicted inside the core zone near active mining area. The cumulative GLC of PM10 was found to be **71.144 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ at Mine Site.**
- The predicted GLC of PM2.5 viz. 1.557 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ for 24 hours Average Concentration was predicted inside the core zone near active mining area. The cumulative GLC of PM2.5 was found to be **42.557 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ at Mine Site.**
- The predicted GLC of SO2 viz. 1.253 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ for 24 hours Average Concentration was predicted inside the core zone near active mining area. The cumulative GLC of SO2 was found to be **18.253 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ at Mine Site.**
- The predicted GLC of NO2 viz. 1.483 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ for 24 hours Average Concentration was predicted inside the core zone near active mining area. The cumulative GLC of NO2 was found to be **27.483 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ at Mine Site.**
- The project proponent needs to 83 KLD dewatering and 9 KLD for domestic which will be extracted from ground, NOC from CGWA has been granted vide NOC No. NOC/MIN/MP/2025/6093/N, Date of Issuance 25/04/2025. refer page no.638 of annex. 24 of EIA Report. **(83 KLD is mine seepage and 9 KLD is for domestic use).**
- Mining activity will be done by underground method so no major impact will be anticipated on surface water sources. Surface run-off from the excavated material dumps as well as from the construction areas has the potential for impact on surface water bodies. This will be mitigated by construction of garland drains and settling pits around the waste dumps.
- The proposed manpower on the mine site is during operational phase 296 and estimated Domestic Water Requirement 9 KLD. Domestic waste water will be disposed in Sewage Treatment Plant and treated water will be used for greenbelt development.
- Hydrogeological Study has been carried out. Report has been annexed with the EIA Report. Annexure 24. CGWA NOC has obtained.
- 12 trees are existing within lease area, and no tree will be uprooted. Only Shrub of lantana, hiptis etc. if plan to uprooted after permission of competent authority.
- The plantation will be done in first year with Causality replacement will be proposed from 2nd to 5th year and Maintenance will be proposed from 2nd year to at the end of lease period.

After presentation the committee asked PP to submit following clarification for further consideration of the project: -

- Authentic agreement between PP and Environmental Consultant for conducting baseline data study, monitoring for EIA preparation alongwith NABET certificate.
- Hydrological study report annexure 24 of EIA report, table 5.2 Mine seepage from walls of mine pit reveals seepage quantity from first year to fifth year as 45, 83, 122, 160, and 198 cum per day respectively (page 634). The NOC from CGWA is valid till dt 24/04/2027, for 83 cum per day only, Pl provide GW management plan for all five years.
- During public hearing GW draw-down problem is raised by public, it requires to be addressed in view of Hydrological study report as well and daily water requirement for mine 92 cum day.
- EIA report reveals water requirement 66 cm per day for various activities including mineral process, pl submit treatment arrangement for mineral process water quantity 53 cum per day.

अध्यक्ष महादेय की अनुमति से अन्य बिंदु शुद्धिपत्र -

1. Case No P2/1626/2025 Shri KHALID MOHAMMED, Lessee, R/o- Village- Abupura, Tehsil- Alot, District-Ratlam, M.P. Prior Environment Clearance for Stone and M-Sand in an area of 2.00 ha. (Gitti – 9,000 cum per year and M-Sand 21,000 cum per year) (Khasra No. 298/1 Govt. Land), Village- Virpura, Tehsil Jaora, District-Ratlam (MP) (539699)

प्रकरण में समिति की 815वीं बैठक दिनांक 29 जुलाई 2025 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गयी थी, जिसमें त्रुटिवश जिला बुरहानपुर उल्लेखित हो गया है, के स्थान पर जिला रतलाम पड़ा जावे, शेष अन्य अनुशंसा एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

1. Case No P2/1628/2025 Nikita Singh, Lessee, R/o-Village-Bolai, Tehsil- Gulana, District-Shajapur, M.P. Prior Environment Clearance for Stone (Gitti) and M-Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (Gitti - 2000 cum per year and M-Sand – 8000 cum per year) (Khasra No. 1320), Village- Gulana, Tehsil Gulana District-Shajapur (MP) (539789)

प्रकरण में समिति की 815वीं बैठक दिनांक 29 जुलाई 2025 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गयी थी, जिसमें त्रुटिवश तहसील शाजापुर उल्लेखित हो गया है, के स्थान पर तहसील-गुलाना जिला-शाजापुर पड़ा जावे, शेष अन्य अनुशंसा एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

2. CaseNo P2/1645/2025 Shri Ritesh koushal, LESSEE, R/o- Lodhi mohalla, Barwaha, Tehsil- Barwaha, District-Khargone, M.P. Prior Environment Clearance for Murrum in an area of 1.00 ha. (5000 cum per year) (Khasra No. 115/2 Govt. Land), Village- Kadwalaiya, Tehsil Badwah, District Khargone (MP) (537035)

प्रकरण में समिति की 815वीं बैठक दिनांक 02 अगस्त 2025 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गयी थी, जिसमें त्रुटिवश एकल प्रमाण पत्र दिनांक 29/04/2024 उल्लेखित हो गई है, के स्थान पर पत्र दिनांक 29/04/2025 पड़ा जावे, शेष अन्य अनुशंसा एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

3. Case No. 11079/2023 Shri Rajkumar Agrawal R/o Tilak Ward, District Mandla (MP) Prior Environment Clearance for Dolomite Mine in an area of 2.205 ha. (48964 ton per year) (Khasra No. 93), Village-Bhatiyatola, Tehsil-Nainpur, DistrictMandla (MP) [518691] (EIA)

प्रकरण में समिति की 778वीं बैठक दिनांक 25/03/2025 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गयी थी, जिसमें त्रुटिवश परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज एरिया 02 पार्ट में कुल 1.546 हेक्टेयर भूमि पर खनन कार्य प्रस्तावित है व खनन कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उत्तर दिशा में लीज क्षेत्र के अन्दर कुछ श्रमिकों के अस्थाई निवास एवं एक साईट ऑफिस स्थित है इस संबंध में उनके द्वारा 100 मीटर गैर खनन क्षेत्र छोड़ना प्रस्तावित किया गया है तथा लीज क्षेत्र में लगभग 15 पेड़ लगाये हुये हैं, जिनमें से कोई भी पेड़ काटा नहीं जावेगा। अतः खनन हेतु 1.13 हेक्टेयर भूमि पर खनन कार्य प्रस्तावित है उल्लेखित हो गया, के स्थान पर परियोजना प्रस्तावक ने बताया की खदान क्षेत्र के आस पास कोई भी रहवासी क्षेत्र नहीं है, बंजर नदी लगभग 310 मीटर दूर स्थित है, खदान क्षेत्र के बैरियर जोन में कुछ पेड़ दिख रहे है जो परियोजना प्रस्तावक ने बताया की उनके द्वारा लगाये गए है एवं उनका संरक्षण किया जायेगा, पढ़ा जावे शेष अन्य अनुशंसा एवं शर्तें यथावत रहेंगी ।

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.

22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
38. लीज क्षेत्र के अंदर में केवल केशर /एम-सेंड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।

- खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
39. **कशर अथवा एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है ,परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
- परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम. सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
 - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
40. **यदि आवंटित खनन पट्टा भू-स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।**
1. **क्षतिपूर्ति के संबंध में:-**
- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.

12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - d. Minable Potential of sand mine.
 - e. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - f. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.

- v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river.....bank" shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
 38. The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
 39. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
 40. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।